9

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबन्धन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

"इस शृंखला की पुस्तकें"

1. सूचना-एक नज़र में
2. राज्य सभा - भारतीय राज व्यवस्था में इसका योगदान
3. विधि निर्माण प्रक्रिया
4. राज्य सभा में समिति प्रणाली
5. संसदीय विशेषाधिकार
6. सदस्य द्वारा करने और न करने योग्य बातें
7. सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका
8. कार्यपालिका - संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व
9. विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबन्धन
10. प्रभावी विधायक कैसे बनें

9

सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

विधि निर्माता के लिए सूचना प्रबंधन

भारतीय संसद, राज्य सभा
PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

वेबसाइट : http://parliamentofindia.nic.in
: http://rajyasabha.nic.in

ई-मेल : rsrlib@sansad.nic.in

आमुख

यह पुस्तिका राज्य सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों की सुविधा के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिकाओं की शृंखला का एक भाग है। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों को संदर्भ और सूचना के विभिन्न स्रोतों, उनके स्थान, उन्हें प्राप्त करने के तंत्र और सदस्यों की जानकारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए समग्र सूचना प्रबंधन तंत्र से परिचित कराना है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) युक्त उपकरणों के व्यापक उपयोग पर भी प्रकाश डालती है, जिससे सदस्यों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकें ताकि वे प्रभावशाली रूप से संसद सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकें।

इस पुस्तिका का प्रयोजन सदस्यों हेतु तत्काल संदर्भ के लिए एक सुविधाजनक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना है। विस्तृत जानकारी के लिए मूल स्रोतों का संदर्भ लिया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तिका सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
जुलाई, 2020

देश दीपक वर्मा
महासचिव

विषय-सूची

पृष्ठ

1. प्रस्तावना 1-2
2. संसदों तथा सांसदों के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताएं... 3-4
3. सूचना प्रसार के लिए एक संस्थागत स्रोत की आवश्यकता 5-6
4. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) का कार्य-क्षेत्र और दायरा..... 7-8
5. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से की जाने वाली पूछताछ का स्वरूप और उनके पास उपलब्ध साधन और सेवाएं 9-10
6. ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) स्टाफ के दायित्व और कार्य: इसके मानदंड एवं सीमाएं.. 11-12
7. विधिनिर्माताओं के लिए सूचना प्रबंधन की आवश्कता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता..... 13-15
8. संसदों के कार्यसंचालन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को काम में लाया जाना..... 16-18
9. निष्कर्ष 19
10. उपाबंध..... 20-84
11. चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची..... 85-86

प्रस्तावना

ज्ञान और सूचना हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूचना शक्ति है। लोगों की जानकारी तक पहुंच उनके सशक्तिकरण के स्तर और सीमा को निर्धारित करती है। अपनी बहु आयामी विधि संबंधी जिम्मेदारियों, सरकार की निगरानी और सार्वजनिक शिकायतों के निपटान के लिए संसद के लिए सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सही कहा जाता है कि 'संसद एक सूचना गहन और सूचना की मांग करने वाली संस्था है'। यह सूचना सृजित करती है और साथ ही इसे सरकार, मीडिया, सिविल सोसइटी इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोतों से सूचना की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए एक सदस्य को आज के तेजी से बदलते परिवेश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सदस्य के मूल्यवान समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों से इसकी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उसके लिए व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि वह विभिन्न स्रोतों से सीधे सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल करे। इसलिए, यह अनिवार्य है कि नियमित आधार पर उन्हें उद्देश्यपरक, निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रदान करके विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दुनिया भर की संसदों ने सूचना संसाधनों के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र विकसित किया है और सदस्यों की विविध सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की है।[1]

आधुनिक विधायिकाओं के उचित कामकाज के लिए विश्वसनीय और समय पर सूचना की सुलभता आवश्यक है। विधायी पुस्तकालय निरंतर और नियमित आधार पर आधिकारिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रासंगिक जानकारी

[1] पार्लियामेंटरी प्रैक्टिसिज़: सेक्रेटरी-जनरल, राज्य सभा एट कांफ्रेंसेज़ (2002-2011), राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2011

उपलब्ध कराकर विधानमंडल की प्रभावशीलता में योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) में अभूतपूर्व विकास ने सूचना प्रबंधन के संबंध में विधि-निर्माताओं की सहायता करने और सदस्यों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विधायी पुस्तकालयों सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत की है।

संसदों तथा सांसदों के लिए सूचना संबंधी आवश्यकताएं

विधायक के कार्य के लिए सूचना आवश्यक है, विशेषकर लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा इसकी जटिलता, अभूतपूर्व प्रौद्योगिकीय क्रांति तथा सूचना विस्फोट के संदर्भ में यह सूचना के अभाव की भी बात नहीं है, संभवत: व्यापक स्रोतों से अत्यधिक विषयों पर अत्यधिक सूचना उपलब्ध है। एक औसत विधायक के पास दस्तावेज का इतना पुलिंदा है कि इसे देखने के लिए न तो उसके पास समय है और न ही धैर्य है। आज विधायक यही चाहता है कि उसके पास संगत अथवा समय पर सुनिश्चित तरीके से सही सूचना उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक विधायक की अलग-अलग सूचना संबंधी आवश्यकताएं होती हैं।[2]

संसद के लिए सूचना महत्वपूर्ण है। अपने-अपने देशों के लिए सर्वोच्च विचार सभा तथा विधानकारी निकायों के रूप में संसदों की सूचना तक निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। उन्हें सूचना पाने का अक्षुण्ण अधिकार है। वाद-विवाद, चर्चा करने तथा निर्णय करने हेतु संसदों को समय पर, प्रामाणिक तथा पूर्ण जानकारी मिलनी जरूरी है।

यदि सरकारें अपनी-अपनी संसदों के प्रति जवाबदेह हैं तथा उन्हें आवश्यक अथवा उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसी प्रकार संसदें जनप्रतिनिधियों के प्रति स्वयं जवाबदेह हैं तथा यदि इन्हें सूचना न प्रदान की जाए तो ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकतीं क्योंकि जनता को अपनी संसद द्वारा सूचना पाने का अधिकार है। संचार प्रौद्योगिकी से कई चीजों में तेजी से आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। परन्तु सूचना प्रदान करने के लिए सशक्त माध्यम के रूप में स्वयं सत्ता के केन्द्र के रूप में संसद की

[2] सुभाष सी. कश्यप, इन्फार्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, खंड-7, सं. 2, अप्रैल-जून, 1973, पृष्ठ 107

स्थिति नहीं बदली है। जनता तथा सरकार के बीच की कड़ी के रूप में संसद तथा सांसद बेहतर संपर्क सूत्र का काम करते हैं।

पेश आ रही असंख्य आम समस्याओं के मद्देनज़र सांसदों के पास एक दूसरे के अनुभव तथा ज्ञान की भागीदारी के लिए बहुत कुछ होता है। अपनी समस्याओं के संभावित हल पर चर्चा करने हेतु, सांसद यह जानना चाहते हैं कि अन्य देशों अथवा अन्य संसदों द्वारा ऐसी समस्याएं कैसे निपटाई जाती हैं। इसलिए संसदों में अन्य देशों के संबंध में सूचना पाने तथा निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में तुलनात्मक विश्लेषण की जरूरत बढ़ रही है। इस संदर्भ में संसदों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।[3]

[3] टी. बिस्ट्रोम एंड ई. स्पाईसर, इंटरनेशनल कोआपरेशन ऑन इन्फॉर्मेशन फॉर पार्लियामेंट, इंटर-पार्लियामेंटरी बुलेटिन, तीसरी तिमाही, 1974, पृष्ठ-117-24

सूचना प्रसार के एक संस्थागत स्रोत की आवश्यकता

किसी संसद सदस्य की सूचना के कई स्रोत होते हैं किन्तु चूंकि आधुनिक सरकार का सूचना पर सर्वाधिक स्वत्वाधिकार होता है इसलिए–विशेषकर विकासशील देशों में–अधिकांश विधान-मंडल और विधेयक सूचना संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए कार्यपालक विभागों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। दक्षतापूर्वक संग्रहित और प्रसंस्कृत होने पर भी इस सूचना का झुकाव जाने-अनजाने प्राय: सरकार के पक्ष में हो सकता है और सदैव यह आवश्यक नहीं है कि इसे तथ्यपरक या वस्तुनिष्ठ समझा जाये। मास-मीडिया, इंट्रेस्ट ग्रुपों या लॉबिस्टों, आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना में ऐसा कम होता है। अत: विधान-मंडल के लिए आवश्यक है कि वह सूचना के अपने संस्थागत स्रोत, स्वतंत्र सूचना भण्डार और अपनी विशेष प्रसार प्रक्रिया विकसित करे। इसे विधायी ग्रंथालय और शोध तथा संदर्भ सेवाओं और संसदीय समितियों द्वारा की गई जांचों के माध्यम से प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सूचना के प्रसार के लिए अभी तक जहां पर भी कोई सर्वोत्तम तंत्र विकसित किया गया है वह स्वयं संबंधित संसदों द्वारा स्थापित और नियंत्रित ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) है–इसे चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाये। 'लार्डिस' को विभिन्न संसदों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से और संकल्पनात्मक रूप से 'लार्डिस' को ग्रंथालय और समिति संबंधी कार्यों के परिणाम और उनके अभिन्न तथा अवियोज्य अंग के रूप में देखा जा सकता है। यहां तक कि संगठनात्मक रूप से भी 'लार्डिस' ग्रंथालय के अनुरूप सामान्य प्राधिकार के अन्तर्गत संसदीय पुस्तकालय और कार्यों का अंग रहा है और अधिकतर विधानमंडलों में यह अभी भी इनका अंग बना हुआ है।[4]

[4] सुभाष सी. कश्यप, इन्फार्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कान्स्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, खंड-7, सं. 2, अप्रैल-जून, 1973, पृष्ठ 107-08

सभी संसद उपयुक्त रूप से सुशिक्षित और प्रशिक्षित प्रोफेशनलों वाले स्टाफ, लाइब्रेरियनों, सूचना वैज्ञानिकों, विषय और क्षेत्र के विशेषज्ञों आदि वाली पूर्ण रूप से सुसज्जित 'लार्डिस' का खर्च वहन नहीं कर सकती। कुछ नए तथा विकासशील देशों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि विकास के लिए सूचना एक महत्वपूर्ण संसाधन है और विकासशील देशों में विधायिका के सदस्यों की जानकारी संबंधी आवश्यकताएं उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए अति तत्काल और महत्वपूर्ण होती हैं।[5]

[5] सुभाष सी. कश्यप, पार्लियामेंट्स एण्ड इन्फॉर्मेशन डीसेमीनेशन, जर्नल ऑफ पार्लियामेन्ट्री इन्फॉरमेशन, खंड-31, सं. 1 मार्च, 1985, पृष्ठ 40-41

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) का कार्य-क्षेत्र और दायरा

शोध और सूचना सेवा की भूमिका का संबंध यंत्रीकृत अथवा हस्तचालित उपलब्ध तकनीकों और साधनों के माध्यम से सूचना की व्यवस्था करना और एक क्षेत्र विशेष में सूचना के प्रवाह को इस प्रकार से प्रबन्धित करना है जिससे प्रयोक्ता को जब भी अपेक्षित हो संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। विधान-मंडलों में यह कार्य एक समेकित, निष्पक्ष और स्वतंत्र 'लार्डिस' द्वारा किया जा सकता है जोकि सभी सदस्यों को अपनी सुविधाएं, कौशल और सूचनाएं और जानकारी मुफ्त उपलब्ध कराती है। एक सूचना स्रोत के रूप में, 'लार्डिस' अन्य स्रोतों से अनिवार्य रूप से पूर्णत: भिन्न है क्योंकि यह पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है। विधायक 'लार्डिस' से सम्पर्क कर सकते हैं और 'संतुलित, निष्पक्ष और सभी संबंधित तथ्यों की न्यायोचित प्रस्तुति' प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। साथ ही पुन: सूचना की प्राप्ति, विश्लेषण, संगठन और प्रसार के संबंध में 'लार्डिस' कार्य-प्रणाली को सांसदों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर विशेष रूप से अभिमुख करना होगा। चूंकि आज के विधान-मंडलों के सदस्यों के पास समय का काफी अभाव होता है इसलिए उन्हें जानकारी योग्य रूप में तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 'लार्डिस' को संसदीय दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से न्यूनतम समय, न्यूनतम विस्तार के साथ जानकारी उपलब्ध कराना होता है। 'लार्डिस' द्वारा किये गये सभी अनुसंधानात्मक और संदर्भ कार्य वस्तुनिष्ठता, सटीकता, प्रामाणिकता, परिशुद्धता और तत्परता के पांच मूलभूत सिद्धांतों पर आधरित हैं।

यह कार्य की दृष्टि से अक्सर सुविधाजनक पाया गया है कि 'लार्डिस' को विस्तृत विषय प्रभावों में विभाजित किया जाए ताकि कर्मचारियों में आवश्यक विषय विशेष की विशेषज्ञता और सुविज्ञता विकसित की जा सके। इस प्रकार,

संविधान और कानून, अर्थव्यवस्था और वित्त, विदेशी मामले, शिक्षा, विज्ञान आदि के लिए पृथक-पृथक प्रभाग अथवा इकाइयां समर्पित हो सकती हैं। कार्यपालिका से संबंधित एजेंसियों अथवा सरकारी विभाग की तर्ज पर एक अन्य सम्भावित व्यवस्था बनाई जा सकती है, अर्थात् प्रत्येक विभाग अथवा विभागों के समूह के लिए 'लार्डिस' में समरूपी इकाई बनाई जा सकती है।

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से की जाने वाली पूछताछ का स्वरूप और उनके पास उपलब्ध साधन और सेवाएं

संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) से उनकी मांगें बहुत अधिक हैं। अधिकांश संदर्भ या तो विषय संबंधी होते हैं, सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित होते हैं या निर्वाचन क्षेत्रोन्मुखी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित घटते-बढ़ते दबावों, सामाजिक-राजनैतिक कारकों और सदस्यों की पसंद के कारण लार्डिस से मांगें घटती-बढ़ती रहती हैं।

लार्डिस से की जाने वाली पूछताछ को प्रत्येक मामले में कार्य के स्तर और उसके परिणाम की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है; कुछेक संदर्भों को उसी समय टेलीफोन पर अथवा मौखिक रूप से निपटाया जा सकता है; कुछ अन्य पर संदर्भों, कार्यों अथवा पुस्तकालय के संग्रह की मदद से संतोषजनक रूप से कार्रवाई की जा सकती है, परन्तु कुछ ऐसे संदर्भ हो सकते हैं जिनमें थोड़े-बहुत गहन अनुसंधान की आवश्यकता होती है जिसमें किसी प्रस्ताव के अच्छे और बुरे पहलुओं की जांच करना, राष्ट्रीय महत्व की किसी समस्या का व्यापक अध्ययन करना, किसी विधेयक के विश्लेषण अथवा संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या करना शामिल है।

यहां लार्डिस के उपकरणों और सेवाओं की बात आती है। उपकरणों के एक समूह में मौजूदा पुस्तकालय संग्रह और सूचियां और सरकारी विभागों और एजेंसियों से उपलब्ध सूचना और सामग्री शामिल हैं। जबकि उपकरणों के दूसरे और अधिक महत्वपूर्ण समूह में स्वयं लार्डिस की विभिन्न सेवाएं शामिल हैं। इसमें शामिल हैं– प्रलेखन सामग्रियां और उपकरण; समाचार-पत्रों की कतरनों के फोल्डर; संदर्भ अथवा विषय संबंधी फाइलें; विशिष्ट (टिप्पणी

सहित) संदर्भ-ग्रंथ-सूचियां; प्रतिवेदनों और लेखों के सार, टिप्पणियां और परिशिष्ट; महत्वपूर्ण पुस्तकों, अधिनियमों और न्यायालय के निर्णयों के डाइजेस्ट; तथ्य-पत्र; सूचना समाचार; सांख्यिकीय ज्ञापन; न्यूज डाइजेस्ट; प्रस्तावित विधानों का विश्लेषण, मौजूदा समस्याओं, संदर्भ टिप्पणों इत्यादि से संबंधित लेखा-जोखा और दस्तावेजी अध्ययन। [ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा दी जा रही सेवाओं के सार हेतु देखिए **'उपाबंध'**]

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) स्टाफ के दायित्व और कार्य: इसके मानदंड एवं सीमाएं

लार्डिस स्टाफ को संवेदनशील तथा श्रमसाध्य कार्य करना होता है। उन्हें संबंधित विषयों के बीच तथा संभावित विचारों के बीच पूर्ण तटस्थता बनाए रखनी होती है। उन्हें अत्यधिक गोपनीयता के साथ कार्य करना तथा हमेशा अज्ञात और परदे के पीछे रहना होता है और विचारों को प्रकट करने की अपनी लालसा को दबाना पड़ता है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय उनके कार्यों की पृष्ठभूमि पर आधरित हो सकते हैं, परन्तु उन्हें पूर्ण आत्म-नियंत्रण रखना होता है तथा वे अपने लिए कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा मानसिक रूप से सजग भी रहना होता है तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने ज्ञान को तथा तकनीकों की जानकारी को अद्यतन रखना होता है। इसके अतिरिक्त, लार्डिस स्टाफ अत्यधिक एवं सतत् दबाव में कार्य करते हैं। क्योंकि उन्हें प्राय: अल्पकालिक नोटिस पर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ही सदस्यों को सूचना प्रदान करनी होती है। जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधियों को सेवा प्रदान करना तथा सूचना संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए सर्वाधिक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, योग्यता, अनुशासन, संस्थागत निष्ठा तथा कौशल की आवश्यकता होती है।

सामान्यत: संसद के अलग-अलग सदस्यों, समितियों, सचिवालयों और विधायिका के अधिकारियों द्वारा लार्डिस का उपयोग किया जाता है। प्राय: जो एक लार्डिस कर सकता है तथा संसद के सदस्यों की जो अपेक्षाएं होती हैं, उनमें बहुत अधिक अन्तर होता है। जहां एक और बहुत कम सदस्य ही वास्तविक रूप से विद्यमान शोध एवं संदर्भ सुविधाओं का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ सदस्यों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं सर्वाधिक पेचीदा प्रश्न सदस्यों को और अधिक व्यक्तिकृत शोध एवं संदर्भ सेवा प्रदान करने

का है जिसका अर्थ यह होगा कि लार्डिस को प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता का अन्दाजा लगाने का प्रयास करना चाहिए, और तदनुसार सूचना प्रदान करनी चाहिए। कभी-कभी संसद सदस्यों के नितान्त व्यक्तिगत प्रयोग के लिए विशिष्ट शोध अध्ययनों और विशिष्ट विषयों पर नोट तैयार करने, संरचित प्रश्नों और पत्राचार का जवाब देने के लिए, पुस्तकें और लेख लिखने में संसद सदस्य की सहायता करने के लिए, उसे विधिक, राजनीतिक और अन्य प्रस्तावों पर सलाह देने की भी मांग की जा सकती है। अत: यह सर्वाधिक परामर्शदायक समझा जाता है कि लार्डिस सर्वोत्तम संभव और सरलतापूर्वक प्रयोज्य रूप में उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी की तत्काल आपूर्ति करने तक सीमित रहे। लार्डिस कितना ही कार्यकुशल हो, किसी सदस्य की निजी सोच अथवा निर्णय अथवा उसके गृहकार्य[6] का पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकता।

यह निर्विवाद है कि लार्डिस का प्रयोग जानकारी के संस्थागत प्रवाह के सर्वाधिक स्वीकार्य स्रोत के रूप में होना चाहिए। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सदस्यों को सुसंगत जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए लार्डिस को उपयुक्त रूप से सुसज्जित होना होगा। विधि निर्माताओं की संदर्भ संबंधी जरूरतों को पूरा करने के अपने पारम्परिक कार्यों के अलावा एक आदर्श लार्डिस को अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होना चाहिए:

(क) संसदीय पाठ्यक्रमों अथवा विषयबोध सम्मेलन आयोजित करके नए सदस्यों की विषयबोध और प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना;

(ख) सभी नए संसदीय अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना; और

(ग) अन्त:सत्रावधि के दौरान कार्यपालिका के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों के लिए संसदीय पाठ्यक्रम आयोजित करना।[7]

---

[6] सुभाष सी. कश्यप, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेम्बर्स आफॅ पालियामेंट, जर्नल ऑफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, खंड-7, सं. 2, अप्रैल-जून, 1973, पृष्ठ 113-14

[7] यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक सभा सचिवालय के नियन्त्रणाधीन कार्यरत लोकतंत्रों के लिए संसदीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) लार्डिस के उपर्युक्त कार्यात्मक विस्तारों का ध्यान रख रहा है।

विधिनिर्माताओं के लिए सूचना प्रबंधन की आवश्यकता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केन्द्र (सी.आई.डी.पी.), जेनेवा ने जनवरी, 1973 में सदस्यों की सूचना आवश्यकताओं के बारे में अन्तर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की संगोष्ठी आयोजित की थी। यह विश्व के विधानकर्ताओं की राजनीतिक स्थिति की प्रमुख विषयवस्तु पर अन्तर-संसदीय संघ की तीसरी संगोष्ठी थी। ऐसा कहा गया कि इससे संसदीय ग्रन्थागारों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 'अन्तर्राष्ट्रीय पहचान'[8] मिली है तथा जहां तक इसके द्वारा सांसदों की और अधिक तुलनात्मक सूचना संबंधी आवश्यकता को स्वीकार किये जाने का संबंध है, यह माना गया कि इस अन्तर-संसदीय सहयोग ने एक महत्वपूर्ण विभाजन-रेखा खींच दी है।[9] संगोष्ठी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ''एक दूसरे के ज्ञान को संचारित करने, साझा बनाने तथा उसका प्रयोग करने के संबंध में वास्तविक तथा सार्वभौमिक चुनौती के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना था।''[10]

अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय प्रलेखन केन्द्र की इस संगोष्ठी का अप्रत्यक्ष परिणाम यह निकला कि अन्तर-संसदीय संघ द्वारा बाह्य सूचना अर्थात् तथ्यों, डाटा, प्रलेखनों तथा एक देश से संबंधित तथा उद्गमित ऐसे विश्लेषणों, जो दूसरे देश में अपेक्षित हैं, के क्षेत्र में संसदों के बीच प्रभावी सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताओं और व्यावहारिक कदमों की विशेष जांच करने का निर्णय लिया गया। जांच के परिणामों में यह अभिज्ञान किया गया कि 'किसी देश में विद्यमान महत्वपूर्ण सूचना की पहचान करना तथा फिर उसे उपयोगी रूप में दूसरे देश में शीघ्रता से सटीक तौर पर संचरित करना' एक

[8] डी. एंजिलफिल्ड, सर्वे ऑफ पार्लियामेंटरी लाइब्रेरीज, डाक्यूमेंटेशन एण्ड इन्फार्मेशन सर्विसेज, यूरोपियन सेन्टर फॉर पार्लियामेंटरी रिसर्च एण्ड डाक्यूमेंटेशन, लक्सम्बर्ग, 1983

[9] ए. एस. रीड, इन्फॉर्मेशन फॉर दि मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, दि इन्फॉर्मेशन साईंटिस्ट-खंड-2, सं. 2, जून 1977, पृष्ठ 43-51

[10] ए. बार्कर, इन्फार्मेशन फॉर दि पार्लियामेंटेरियंस: ए टेक्निकल एण्ड पोलिटिकल चेलेंज, दि पार्लियामेंटेरियन खंड-54, सं. 2, अप्रैल, 1973, पृष्ठ 86-87

चुनौती थी जिससे संसद-विदों को 'अपना निर्णय लेने के लिए एक संबंधित आवश्यक तुलनात्मक आधार' मिल सके। जांच के परिणामों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल की गईं:

(i) संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के रूप में संसद-विदों और संसदीय कर्मचारियों द्वारा दौरों के समय अथवा अन्यथा प्राप्त किए गए केन्द्रीय महत्व के प्रलेखनों का संग्रहण और आदान-प्रदान;

(ii) संसदों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार संबंधी संपर्क स्थापित करना;

(iii) संसदीय पुस्तकालयों, प्रलेखन और अनुसंधान सेवाओं का एक व्यापक सहकारी नेटवर्क विकसित किया जाना जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संसदीय पुस्तकालय का अन्य राष्ट्रों के संसदीय पुस्तकालयों के साथ घनिष्ठ संपर्क कायम किया जाना; और

(iv) आवश्यक जानकारी के त्वरित हस्तान्तरण और महत्वपूर्ण प्रकाशनों, ग्रंथ-सूची, अनुक्रमणिकाओं, विधायी कैलण्डरों इत्यादि का आदान-प्रदान करने के लिए राजनयिक साधनों (पाउचों) और संक्रियात्मक संचार के अत्याधुनिक साधनों का उपयोग किया जाना।[11]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों और उनके अभिसरण में तीव्रता से सूचना को साझा करने के नए क्षेत्र खुले हैं। विधिसंबंधी ग्रंथालय और अनुसंधान सेवाओं द्वारा जानकारी, विचारों, अनुभवों आदि को साझा करने और आदान-प्रदान करने से वे निश्चित रूप से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे, जिनका वैश्वीकरण के बाद विधायिकाओं और उनके सदस्यों को सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से तेज संचार से वैश्विक सूचना नेटवर्किंग का एक युग शुरू हुआ है, जिससे लागत, समय और दूरी में भारी कटौती हुई है। वास्तव में, नई प्रौद्योगिकियों से सूचना भंडारण पुनर्प्राप्ति और प्रसार के पारंपरिक तरीकों को बदला गया है। नेटवर्किंग

[11] टी. बिस्ट्रॉम एंड ई. स्पाइसर, इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ऑन इंफोर्मेशन फॉर पार्लियामेंट, इंटर-पार्लियामेंटरी बुलेटिन, थर्ड क्वार्टर, 1974, पृ. 122-23

इलेक्ट्रॉनिक मेल और कम्प्यूटर/ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग त्वरित और प्रभावी तरीके से संचार की सुविधा प्रदान करती है। इन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के प्रयासों के दोहराव से बचना और उसे विधि संबंधी ग्रंथालय के एक सुव्यक्त सूचना नेटवर्क के माध्यम से विधि-निर्माताओं को उपलब्ध कराना है। इससे डेटा आसानी से सुलभ हो जाता है और विधि-निर्माताओं को बेहतर रूप से सूचित रहने में सहायता मिलती है। साथ ही, सूचना की अधिकता विधायकों के लिए सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया को इस तथ्य को देखते हुए अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती है कि उन्हें उद्देश्यपूर्ण, अद्यतन और प्रमाणिक जानकारी की आवश्यकता है।

संसदों के कार्यसंचालन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को काम में लाया जाना

संसदों ने संसद सदस्यों और जनता के लाभ के लिए अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में अपने दैनिक कार्यकलाप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इस पर विश्व ई-संसद रिपोर्ट 2010 में बल दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: ''संसद हमेशा सूचना गहन संस्थान रहे हैं। ई-संसद से सूचना की अपेक्षाकृत और अधिक मांग सृजित हुई है और उस जानकारी को अधिक समकालीन, अधिक पूर्ण, और सदस्यों और समितियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर इसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है" रिपोर्ट में आगे कहा गया है: "कुशल ग्रंथालय और शोध कर्मचारियों सहित एक ठोस आईसीटी आधारभूत संरचना से महत्वपूर्ण सूचना संसाधनों तक सदस्यों की पहुंच काफी बढ़ सकती है, ऐसे संसाधन चाहे विधायिका के भीतर से हैं, सरकार के अन्य हिस्सों से या विभिन्न बाहरी स्रोतों से"। विश्व ई-पार्लियामेंट रिपोर्ट 2018 ने आगे स्वीकार किया है कि "संसदें आखिरकार अपने काम के सभी पहलुओं में आईसीटी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही हैं... संसदें अब हमेशा की तरह अन्य संसदों के साथ सहयोग के साथ-साथ अब नागरिक समाज के साथ मुक्त रूप से सहयोग के लिए अधिक तैयार दिख रही हैं; पुनः प्रयोज्य मीडिया सहित व्यापक और अधिक सुलभ मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रकाशकों और प्रसारकों के रूप में अधिक सक्रिय दिखाई दे रही हैं; आंतरिक रूप से अधिक प्रभावी और कुशल दिखाई दे रही हैं और अपने काम की सही ढंग से निगरानी और अभिलेखन में बेहतर रूप से सक्षम दिखाई दे रही हैं।" रिपोर्ट संसदों द्वारा अपने प्रौद्योगिकी विकल्पों के चयन के परिणामस्वरूप उनमें सुधार की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है।

यह स्वीकार किया जाता है कि अंत:संपर्क और लोकतांत्रिकरण के बीच एक मजबूत सह-संबंध है। इसका मतलब है कि जब आईसीटी के लाभ लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज में अधिकतम होते हैं तो स्वतंत्रता का संवर्धन होता है। ज्ञान और उपयुक्त जानकारी से लैस नागरिक पर्याप्त रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं या सूचना के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं और इसलिए, वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संसदीय आधारभूत संरचना नागरिकों और सांसदों की मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित हो और सूचनापरक स्रोत उद्देश्यपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण, अद्यतन और सुलभ हों। एक संसदीय लोकतंत्र में इस नई तकनीक का उपयोग करने से संसद और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने और भागीदारी लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकतांत्रिक अविश्वास को कम करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए, दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से संसद के लिए आईसीटी का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है।

मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भारी संभावना को ध्यान में रखते हुए, हमारी संसद भी इन तकनीकों को अपनाने में काफी सक्रिय रही है ताकि सदस्यों को उनके संसदीय कार्य में प्रभावी ढंग से इनका उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, सदस्यों को कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो उन्हें संसदीय और अन्य प्रासंगिक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने और कागज उपयोग पर निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाती हैं। संसद की दोनों सभाओं में उनकी अलग-अलग भली-भांति डिजाइन की गई व्यापक वेबसाइटें हैं जिनमें उनके कामकाज के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी शामिल है। सदस्यों के बारे में जानकारी और सदन की कार्यवाही में उनकी भागीदारी से संबंधित जानकारी उनके संबंधित होम पेजों पर उनके संपर्क विवरण और ई-मेल पते के साथ भी प्रदान की गयी है। इसके अलावा, प्रत्येक सदन का

अपना-अपना 24x7 टेलीविजन चैनल है जो सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण करता हैं इन प्रमुख कदमों ने सार्वजनिक डोमेन में संसदीय सूचनाओं की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता में उल्लेखनीय योगदान दिया है जिससे संसदीय संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और खुलापन सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें देश के सामान्य नागरिकों के करीब लाया जा सके। इन पहलुओं पर विस्तृत जानकारी **उपाबंध** में दी गई है।

निष्कर्ष

संसद सूचना का एक भंडार है जिसका लोगों, राजनीति और समाज के लिए मौलिक महत्व है। प्रभावी निर्णय लेने में सूचना एक महत्वपूर्ण इनपुट होती है। लोगों को सूचना का अधिकार के संदर्भ में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों और संसदीय संस्थानों सहित, लोक प्राधिकरणों और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का वृहद कार्य करता है। प्रतिनिधिक संस्थानों के रूप में, विधि-निर्माताओं को ऐसी व्यवस्था में काम करना पड़ता है जहां निर्णयों पर पहुंचने और नीतियों का आकलन करने के लिए जानकारी का एक मुक्त प्रवाह होता है जिसका उद्देश्य लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र की सफलता, बड़े पैमाने पर जानकारी के बहु-दिशात्मक सूचना के प्रवाह पर निर्भर करती है। सूचना, संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग विधायिका और अन्य संस्थानों, मीडिया और लोगों के बीच जानकारी प्रसारित करने के लिए बहुत मददगार होगा जो संसदीय संस्थानों को लोगों के करीब लाने में एक लंबा सफर तय करेगा जिससे सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

चूंकि लार्डिस को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों की ग्रंथालय, अनुसंधान और संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिदेश दिया गया है, इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति में सदस्यों की बढ़ती जरूरतों और उनकी भारी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल रखते हुए निष्पक्ष, उद्देश्परक, सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित रहना होता है।

ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा*

सेवा का उद्देश्य

संसद ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा, संक्षेप में 'लार्डिस' का प्रमुख उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सभाओं– लोक सभा तथा राज्य सभा के समक्ष चर्चा के लिए आने वाले विधायी तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित शोध तथा संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराके संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकता को पूरा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस सेवा, जिसमें व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक कर्मचारी सम्मिलित हैं, को निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों में बांटा गया है: (i) ग्रंथालय प्रभाग, (ii) संदर्भ प्रभाग, (iii) अनुसंधान प्रभाग, (iv) प्रलेखन प्रभाग, (v) कम्प्यूटर प्रभाग, और (vi) प्रेस और जन संपर्क प्रभाग। प्रत्येक प्रभाग में अधिकारियों के दल का नेतृत्व एक अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक करता है। छः प्रभाग निदेशकों के संपूर्ण नियंत्रण में कार्य करते हैं। कार्य की तात्कालिकता के आधार पर इन प्रभागों के नाम तथा इनके काम-काज के आबंटन में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

संसद ग्रंथालय

संसद ग्रंथालय जिसमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों सहित मुद्रित पुस्तकों, प्रतिवेदनों, सरकारी प्रकाशनों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदनों, वाद-विवादों, राजपत्रों, अन्य प्रलेखों के इस समय लगभग 1.7 मिलियन खण्ड हैं, देश के सर्वोत्तम और समृद्धतम ग्रन्थागारों में से एक है। वर्तमान में ग्रन्थालय 88 भारतीय और विदेशी समाचार-पत्र और अंग्रेजी, हिन्दी और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की 404 पत्रिकायें मंगाता है।

---

*ग्रंथालय और संदर्भ, शोध, प्रलेखन तथा सूचना सेवा (लार्डिस), लोक सभा सचिवालय द्वारा संकलित।

संसद ग्रंथालय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों और अन्य प्रकाशित सामग्री का अर्जन, प्रसंस्करण, परिरक्षण, प्रदर्शन करता है।

संसद सदस्यों या अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अथवा मानार्थ पुस्तकें और प्रकाशन भी ग्रंथालय में शामिल किए जाने के लिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पुस्तकें शामिल की जाती हैं। ग्रंथालय का अर्जन अनुभाग ग्रन्थों का चयन करते समय पाठकों की पहल, विगत मांगों, भावी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं की ओर उचित ध्यान देता है।

ग्रंथालय के लिए पुस्तकों और प्रकाशनों का चयन सदस्यों की विधायी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देते हुए लगभग सभी विषयों से संबंधित मानव गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र से किया जाता है जिसमें उत्तम तकनीक, शुद्ध विज्ञान और सरल कथा साहित्य संबंधी पुस्तकें अपवाद स्वरूप होती हैं।

दुर्लभ और कला पुस्तकें

संसद ग्रंथालय में इतिहास, राजनीति, विधि, कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला पर हजार से अधिक दुर्लभ ग्रंथों का समृद्ध संग्रह है। भारतीय कला से संबंधित पुस्तकों में भारतीय इतिहास का विस्तृत दायरा सम्मिलित है और इसके विकास के विभिन्न चरणों को चित्रित किया गया है। इनमें मुगल, राजपूत, कांगड़ा, गढ़वाल और अन्य कला विधाओं का समावेश है। विदेशी कला से संबंधित पुस्तकों में माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंसी और राफेल जैसे प्रख्यात कलाकारों की कृतियां तथा चीनी और जापानी कलाकृतियां एवं रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, अमरीकी और अरबी चित्र सम्मिलित हैं। 1671 में प्रकाशित मॉन्स एफ. बर्नियर की 'द हिस्ट्री ऑफ द लेट रिवोल्यूशन ऑफ द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मोगल' शीर्षक वाली पुस्तक संसद ग्रंथालय में उपलब्ध सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है।

भारत का मूल संविधान

संसद ग्रंथालय में उपलब्ध एक अत्यंत दुर्लभ प्रलेख है भारत के संविधान का मूल सुलेख (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। इसे 1994 से दो नाइट्रोजन गैस भरे

शीशे के पात्र में संरक्षित किया गया है। संरक्षण के लिए संबंधित तकनीक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा गेटी संरक्षण संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से प्रदान की जा रही है। यह प्रलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं।

भारतीय भाषाओं पर साहित्य

संसद ग्रंथालय अपने भाषागत संग्रहों के विकास पर अधिक बल देता रहा है। भाषाओं में हिन्दी और संस्कृत के अतिरिक्त (i) असमी; (ii) बंगाली; (iii) बोडो; (iv) डोगरी; (v) गुजराती; (vi) कन्नड़; (vii) कश्मीरी; (viii) कोंकणी; (ix) मलयालम; (x) मणिपुरी; (xi) मराठी; (xii) मैथिली; (xiii) नेपाली; (xiv) उड़िया; (xv) पंजाबी; (xvi) राजस्थानी; (xvii) सिंधी; (xviii) तमिल; (xix) तेलुगु और (xx) उर्दू शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक भाषा में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में आधारभूत कृतियों को सम्मिलित करके इस संग्रह को समृद्ध करने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

समाचार पत्र और पत्रिकाएं

वर्तमान में संसदीय ग्रंथालय में संसद सदस्यों के संदर्भ और उपयोग के लिए 404 विदेशी पत्रिकाएं और 3 विदेशी समाचारपत्रों सहित 88 समाचार-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। समाचारपत्रों में 31 अंग्रेजी, 18 हिन्दी और 39 भारतीय क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र; और पत्रिकाओं में 323 अंग्रेजी, 49 हिन्दी और 32 भारतीय क्षेत्रीय भाषा की पत्रिकाएं शामिल हैं।

ई-संसाधन

ई-संसाधन आधार को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए संसदीय ग्रंथालय ने जे-गेट की सदस्यता ली है जो अनुसंधान लेखों के व्यापक डेटाबेस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है। संसदीय ग्रंथालय ने 41 पत्रिकाओं की मानार्थ सदस्यता भी ली है, जिनकी हार्ड कॉपी खरीदी जा रही है। संसदीय ग्रंथालय के वेबपेज पर पूर्वोक्त कार्यात्मकताओं के लिंक उपलब्ध हैं। इसके अलावा, संसदीय ग्रंथालय विभिन्न विषयों पर ई-पुस्तकें भी प्राप्त कर रहा है।

संसदीय ग्रंथालय के ई-संसाधन को और समृद्ध करने के लिए श्रव्य पुस्तकों को भी जोड़ा गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा तैयार किए गए दो प्रकाशनों अर्थात् 'संसद के कार्य और प्रक्रिया, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर' तथा 'लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश' को श्रव्य पुस्तक के प्रारूप में परिवर्तित किया गया है।

दृष्टिबाधितों/मुद्रित सामग्री-बाधितों के लिए सुविधा

संसद ग्रंथागार में आने वाले दृष्टिबाधितों/मुद्रित सामग्री-बाधित उपयोगकर्ताओं को संबंधित सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर तकनीक की सहायता से डिजिटल एक्सेस सूचना प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है।

ग्रंथालय की अवस्थिति

वर्तमान में संसद ग्रंथालय, पूर्णतः वातानुकूलित संसद ग्रंथालय भवन (पीएलबी) (संसदीय ज्ञानपीठ) के 'ए' ब्लॉक में स्थित है।

कार्य के घंटे

ग्रंथालय सभी कार्य दिवसों में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक खुला रहता है। तथापि, सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय 09.00 बजे से 19.00 बजे तक अथवा दोनों सभाओं के स्थगन के आधे घंटे बाद तक, जो भी बाद में हो, तक खुला रहता है। सत्रावधि के दौरान ग्रंथालय सभी शनिवार/रविवार और राजपत्रित छुट्टी के दिनों (राष्ट्रीय अवकाश तथा होली के दिन को छोड़कर) में भी 10.00 बजे से 14.00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकें रखने की व्यवस्था

(i) विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें संसद ग्रंथालय भवन के पहले बेसमेंट और पहली मंजिल में रखी गई हैं। महात्मा गांधी

तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा उनके बारे में लिखी गई सभी पुस्तकें भूमितल पर पृथक-पृथक खंडों यथा 'गांधियाना' तथा 'नेहरुआना' में रखी गई हैं।

(ii) संसदीय समितियों के प्रतिवेदन, विधि प्रतिवेदन, पत्रिकाएं, संघ/राज्य और विदेशी सरकारों के प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके सहायक अभिकरणों के प्रकाशन और सरकारी उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त तथा अर्ध-स्वायत्त निकायों से संबंधित सामग्री संसद ग्रंथालय भवन (पीएलबी) के दूसरे बेसमेंट में रखी गई हैं। समाचारपत्रों के जिल्दबद्ध संस्करण पीएलबी के पहले बेसमेंट में रखे गए हैं।

(iii) संसद ग्रंथालय के भूमितल और पहली मंजिल दोनों स्थानों पर अध्ययन कक्ष उपलब्ध हैं।

प्रकाशनों को जारी किया जाना और लौटाया जाना

ग्रंथालय से पुस्तकें जारी करने का कार्य ग्रंथालय नियमों के अधीन किया जाता है जिसकी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित प्रतियां ग्रंथालय से अनुरोध करके प्राप्त की जा सकती हैं। नियमों को संसद ग्रंथालय की वेबसाइट *http://parliamentlibraryindia.nic.in* पर भी देखा जा सकता है।

पुस्तकों/पत्रिकाओं का प्रदर्शन

ग्रंथालय में शामिल की गई नई पुस्तकों को ग्रंथालय (भूमि तल), संसद ग्रंथालय भवन में एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस अवधि में ये पुस्तकें जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, सदस्यगण परिचालन काउंटर पर उपलब्ध विहित प्रपत्र को भरकर पुस्तक के प्रदर्शन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसे जारी करने के लिए आरक्षित करा सकते हैं।

इसके अलावा, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भी ग्रंथालय में प्रदर्शित किया जाता है।

वाचनालय सुविधा

संसद ग्रंथालय में अध्ययन करने के इच्छुक सदस्यों के लिए संसद सदस्य वाचनालय में पढ़ने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सदस्य संदर्भ देखने में सुविधा के लिए वाचनालय में पुस्तकें आरक्षित भी करा सकते हैं। शोधकर्ता और अन्य व्यक्ति भी अध्ययन हेतु केवल निर्धारित अवधि के लिए ग्रंथालय का उपयोग कर सकते हैं।

पुस्तक सूची

संसद ग्रंथालय के कार्यकलापों को वर्ष 1992 के दौरान 'लिबसिस' (एलआईबीएसवाईएस) सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है। 'लिबसिस' एक समेकित, बहुउपयोगकर्ता वेब-समर्थित ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें ग्रंथालय के लगभग सभी कार्य जैसे पुस्तकों का अर्जन, प्रसंस्करण, पुस्तकें जारी करना और लेखों को सूचीबद्ध करना आदि शामिल हैं। वर्ष 2016 में 'लिबसिस' सॉफ्टवेयर का उन्नत वर्जन अर्थात 'लिबसिस'-7 लागू किया गया है।

पुस्तकों और प्रतिवेदनों के संपूर्ण ग्रंथ-सूची संबंधी ब्यौरे 'लिबसिस' सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं। ऑनलाइन ग्रंथालय पुस्तक-सूची संसद ग्रंथालय की वेबसाइट *http://parliamentlibraryindia.nic.in* →*search*→*catalogue search* के तहत देखी जा सकती है।

कम्प्यूटरीकृत पुस्तक सूची के अलावा, पुस्तक सूची की मैन्यूअल खोज हेतु शेल्फ सूची कार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं।

संसद ग्रंथालय समाचार (मासिक): यह लोक सभा सचिवालय की लार्डिस सेवा के संसाधन अनुभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य संबंधित माह के दौरान संसद ग्रंथालय की सामग्री में हुई नई वृद्धि के बारे में संसद सदस्यों और अन्य पाठकों को अवगत कराना है।

इसमें जोड़ी गई नई वस्तुओं के ग्रंथ-सूची संबंधी ब्यौरे, अर्थात् पुस्तकें (अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में), प्रतिवेदनों (केन्द्रीय और राज्य सरकार) संयुक्त राष्ट्र और विदेशी प्रकाशनों सहित संसद ग्रंथालय, संसद संग्रहालय, चिल्ड्रन कार्नर और प्रकाशनों के अद्यतन अंकों, सामाजिक पत्रों/संदर्भ नोट्स/ सूचना समाचार इत्यादि की भी जानकारी दी जाती है।

समाचार की मुद्रित प्रतियां वितरण शाखा के माध्यम से ग्रंथालय समिति के सदस्यों को भेजी जाती है। इसकी एक प्रति अन्य लार्डिस प्रकाशनों के साथ डिस्पले स्टैंड पर भी प्रदर्शित की जाती है।

समाचार के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को भी ई-मेल के माध्यम से माननीय सभापति, लोक सभाध्यक्ष, राज्य सभा के महासचिव, लोक सभा के महासचिव संसद सदस्यों और लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाता है। इसे भी संसद ग्रंथालय के होम पेज *http:// parliament libraryindia.nic.in→New Additions* पर भी देखा जा सकता है।

गजट और वाद-विवाद अनुभाग

संसदीय ग्रंथालय भवन के 'जी' ब्लाक के प्रथम बेसमेंट के हॉल संख्या 25 में स्थित गजेट और वाद-विवाद अनुभाग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के वाद-विवाद, संविधान सभा के वाद-विवाद, अनंतिम संसद के वाद-विवाद लोक सभा के वाद-विवाद, राज्य सभा के वाद-विवाद, राज्य विधान सभाओं और विदेशी संसदीय (आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यू.के. और यू.एस.ए.) वाद-विवादों का राख-रखाव करता है और संसद के सदस्यों और उनके वैयक्तिक सचिवों/वैयक्तिक सहायकों, संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, शोध अध्येताओं तथा संसदीय संस्थानों के कार्यकरण में लगे हुए लोगों के संदर्भ और शोध हेतु लोक सभा और राज्य सभा के वाद-विवाद की सूचियां तैयार करता है। इस अनुभाग में संघीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की राजपत्र अधिसूचनाओं का भी रख-रखाव किया जाता है। लोक सभा की मूल शब्दशः कार्यवाहियों और सभा पटल पर रखे गए पत्रों के सजिल्द खंडों का रख-रखाव भी इस अनुभाग में किया

जाता है। लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियों के सारांश का भी रख-रखाव किया जाता है। इन दस्तावेजों को संसद ग्रंथालय भवन के 'जी' ब्लॉक के बेसमेंट I और बेसमेंट II में क्रमबद्ध तौर पर रखा गया है। 1858 से अब तक के सभी वाद-विवादों का डिजिटलीकरण किया गया है और यह वेबसाइट eparlib.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रशासन और परिरक्षण अनुभाग

प्रशासन और परिरक्षण अनुभाग ग्रंथालय के सामान्य प्रशासन, ग्रंथालय संपत्ति के रख-रखाव और परिरक्षण; तथा शोध छात्रों (भारतीय और विदेशी) और संसद सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ, विधान सभाओं के सदस्यों एवं स्टाफ और विदेशी सांसदों, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सांविधिक निकाय के अधिकारियों, भारतीय तथा विदेशी प्रेस संवाददाताओं आदि को ग्रंथालय सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारतीय और विदेशी शिष्ट मंडलों को संसद ग्रंथालय भवन में घुमाने (शो-राउण्ड)की व्यवस्था करने का कार्य भी करता है।

अधिनियम और विधेयक अनुभाग

कमरा सं. एफ बी 060, 'आई' ब्लॉक, संसद ग्रंथालय भवन में स्थित अधिनियम और विधेयक अनुभाग केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों, केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन नियमों, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदनों, भारत के संविधान, भारत सरकार कार्य का आबंटन नियम 1961, विदेशी अधिनियमों (जैसे और जब प्राप्त होते हैं) आदि का परिरक्षण और रख-रखाव करता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग केन्द्रीय अधिनियमों, भारत के संविधान और कार्य के आवंटन संबंधी नियमों में संशोधन करता है ताकि उन्हें अद्यतन रखा जा सके।

इस अनुभाग द्वारा सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की लोक सभा या राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में दस प्रतियां भी सदस्यों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के अधिकारियों तथा शोध अध्येताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्राप्त की जाती हैं और उनका रख-रखाव

किया जाता है। वर्ष के अंत में लोक सभा/राज्य सभा में पुर:स्थापित/पारित रूप में केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के तीन सेटों को उनकी अनुक्रमणिका सहित जिल्दबंद करके भविष्य की संदर्भ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी परिरक्षण हेतु ग्रंथालय में रखा जाता है। संसद ग्रंथालय में इन विधेयकों के 1921 के बाद से जिल्दबंद खंड उपलब्ध हैं।

इस अनुभाग में संयुक्त/प्रवर समिति (विधेयकों की जांच करने के लिए समय-समय पर गठित) के प्रतिवेदनों की 1921 के बाद की प्रतियों का भी लोक सभा/राज्य सभा में यथा प्रस्तुत रूप में रख-रखाव किया जाता है। 1836 के बाद से सभी केन्द्रीय अधिनियमों की प्रतियों का इस अनुभाग में परिरक्षण किया जाता है और संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संशोधन अधिनियमों में किये गये उपबंधों के अनुसार आवश्यक संशोधन नियमित रूप से किये जाते हैं। अनुभाग द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों का अद्यतन संशोधित रूप में रख-रखाव किया जाता है।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा संसद सदस्यों को उनके द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर तथ्यात्मक, वस्तुपरक और अद्यतन सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करती है। जिन विषयों के संबंध में सूचना प्रदान की जाती है वे प्राय: विविधतापूर्ण एवं व्यापक होते हैं और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाले विस्तृत क्षेत्रों को समेटे होते हैं। प्राय: ये विषय उन मुद्दों से जुड़े होते हैं जो संसदीय प्रश्नों जैसे संसदीय उपाय और/अथवा विधायी उपायों जैसे सरकारी विधेयक अथवा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के माध्यम से चर्चा/विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी सदस्य की सूचना संबंधी आवश्यकता उसके एक विधायिका के सदस्य के रूप में निर्वहन की जाने वाली विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं, कार्यों जैसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अथवा विदेशी दौरे पर गए किसी संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि के प्रतिनिधि के रूप में किए जाने वाले कार्यों से जुड़ी होती है। यह सेवा सत्रावधि के अथवा अंतर सत्रावधि में भी सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(i) संगठन

सदस्यों को निश्चित समय के भीतर अद्यतन एवं सर्वाधिक प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से सदस्य संदर्भ सेवा वर्तमान में विषयगत आधार पर विभिन्न डेस्कों में विभाजित की गई है, जो इस प्रकार है: कृषि और उपभोक्ता मामले; आर्थिक और वित्तीय कार्य; पर्यावरण; एसडीजी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; मानव संसाधन विकास; उद्योग और निवेश; अवसंरचना और ऊर्जा; अंतरराष्ट्रीय कार्य; रक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; विधिक और संवैधानिक मामले; राजनीतिक एवं संसदीय मामले; ग्रामीण विकास; श्रम, रोजगार और सूचना एवं प्रसारण; सामाजिक कार्य और समाज कल्याण प्रत्येक डेस्क का प्रभारी अधिकारी उसे आबंटित विषय से संबंधित सूचना संग्रहीत करता है और उसे क्रमवार लगवाता है तथा संदर्भ टिप्पणों, पृष्ठभूमि टिप्पणों, सूचना बुलेटिनों, तथ्य पत्रों, ग्रंथ-सूची संबंधी शृंखलाओं, संकलनों, सांख्यिकीय विवरणों इत्यादि के रूप में उन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराता है। सेवा के कार्य को इस प्रकार से नियोजित किया गया है कि सदस्यों के संदर्भ अनुरोधों के अनुरूप उन्हें समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

(ii) सुविधाएं

संदर्भ सेवा द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:

(i) सदस्यों को प्रकाशित दस्तावेजों से तत्काल सूचना उपलब्ध कराया जाना;

(ii) सदस्यों के लिखित संदर्भ अनुरोधों के प्रत्युत्तर में अद्यतन सूचना, तथ्यपरक आंकड़ों, सांख्यिकीय विवरण इत्यादि का संग्रह और विवरण;

(iii) महत्वपूर्ण प्रकरणों और क्रमश: संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले/लंबित विधेयकों पर संदर्भ टिप्पणी/विधायी नोट्स तैयार करना;

(iv) महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रंथ सूची तैयार करना; सामयिक मुद्दों से संबंधित पृष्ठभूमि टिप्पण, सूचना समाचार, तथ्य पत्र एवं सूचना फोल्डर तैयार करना; और

(v) समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमित प्रकाशनों को अद्यतन बनाया जाना और उनका मुद्रण कराना।

(iii) प्राप्त अनुरोधों पर प्रक्रियागत तरीके से कार्य करना

सदस्यों के संदर्भ-अनुरोधों के प्रत्युत्तर में एकत्र की जाने वाली सामग्री का क्षेत्र सामान्यत: संसद की सभा के समक्ष तत्समय प्रस्तुत किसी कार्य से संबंधित विषयों तक ही सीमित होता है। सदस्य अपने लिखित अनुरोध पत्र संसद भवन में स्थित सदस्य सहायता डेस्क पर अथवा संसद ग्रंथालय भवन में सदस्यों के वाचन कक्ष में स्थित एक डेस्क पर दे सकते हैं जिनमें संक्षेप में और स्पष्ट रूप से उन बिंदुओं के बारे में बताया जाना चाहिए जिनके बारे में सूचना मांगी गई हो। उनके पास संदर्भ खंड में दूरभाष पर अथवा वहां के अधिकारी से सीधे अपनी जरूरतों के बारे में बताने का भी विकल्प मौजूद है। सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा करने के लिए और संदर्भ अनुरोध पत्र भरे जाने में सहयोग करने के लिए प्रत्येक सदस्य सहायता डेस्क पर एक अधिकारी उपलब्ध रहता है।

सदस्य संदर्भ सेवा संसद सदस्यों को उनके विकल्प के अनुरूप हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। सदस्यों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रामाणिक स्रोतों से इकट्ठी की जाती है, टिप्पणियों अथवा सारणियों के रूप में जैसा मामला हो विन्यासित और संपादित की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता है।

(iv) निष्पादित कार्य का विश्लेषण

(क) सदस्य संदर्भ सेवा की लोकप्रियता और उपयोगिता का अनुमान विगत कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त और निपटाए गए संदर्भ अनुरोधों में आई स्पष्ट वृद्धि को देखकर लगाया जा सकता है। 1950

में निपटाए गए 150 संदर्भ अनुरोधों की तुलना में 1960 में 425, 1970 में 700, 1980 में 3627, 1990 में 5167, 2000 में 6508, 2010 में 6681, 2012 में 4900, 2014 में 5425, 2015 में 5596, 2016 में 5291, 2017 में 5595, 2018 में 4093 और 2019 में 7499 अनुरोधों को निपटाया गया।

(ख) **संदर्भ सेवा द्वारा निपटाए गए कार्य के सत्र-वार सारांश** से यह स्पष्ट होता है कि औसत रूप में ग्यारहवीं लोक सभा में सत्रावधि के दौरान 44 संदर्भ प्राप्त किए और निपटाए गए, बारहवीं लोक सभा के दौरान 53 संदर्भ, तेरहवीं लोक सभा के दौरान 57 और चौदहवीं लोक सभा के दौरान 67 और पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 55 संदर्भों का कार्य संपन्न किया गया। इसकी तुलना में सोलहवीं लोक सभा के दौरान औसत रूप में 76 अनुरोध प्राप्त किए गए और निपटाए गए।

(ग) **पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त संदर्भों के समय और गति संबंधी विश्लेषण** से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 81 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन से संबंधित थे, जिस दिन प्राप्त हुए थे, 17 प्रतिशत संदर्भ 2-3 दिनों के भीतर के लिए होते थे, 2 प्रतिशत 4-7 दिनों के भीतर के लिए और 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक समय के लिए होते थे। जहां तक सोलहवीं लोक सभा का संबंध है, आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औसत रूप में 73 प्रतिशत संदर्भ उसी दिन के लिए, 22 प्रतिशत 2-3 दिनों के भीतर के लिए, 3 प्रतिशत 4-7 दिनों के भीतर के लिए, जबकि केवल 1 प्रतिशत सात दिनों से अधिक समय के लिए होते थे।

(घ) **सोलहवीं लोक सभा के दौरान प्राप्त किए गए संदर्भों के विषय-वार वर्गीकरण के विश्लेषण** से यह पता चलता है कि कुल प्राप्त संदर्भों के 28 प्रतिशत कृषि, मानव संसाधन, विधि और संवैधानिक मामलों से संबंधित थे, 24 प्रतिशत राजनीतिक

एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़े थे। 22 प्रतिशत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग, रक्षा तथा पर्यावरण विषय के मामलों से जुड़े थे, 20 प्रतिशत अवसंरचना, ऊर्जा और वित्त से जुड़े थे। लगभग 6 प्रतिशत श्रम मामलों से संबंधित थे।

(v) प्रकाशन

संदर्भ की दृष्टि से मूल्यवान निम्न प्रकाशनों का संकलन, अद्यतनीकरण एवं संशोधन भी समय-समय पर किया जाता है:

- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन; (2014 तक अद्यतन एवं संशोधित);
- मंत्रिपरिषद (1947 से 2015);
- पार्लियामेंट ऑफ इंडिया – पन्द्रहवीं लोक सभा (2009-2014)– प्रत्येक लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर प्रकाशित की जाती है;
- राष्ट्रपतीय अध्यादेश (1950-2014);
- इंडिया: सम फैक्ट्स; और
- लोक सभा में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया गया समय।

(vi) सदस्यों के ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संदर्भ सेवा

ई-संसद और कागज रहित सचिवालय के लिए एक पहल के तौर पर सदस्यों के लाभ के लिए 17 जुलाई, 2017 को सदस्यों का ई-पोर्टल प्रारंभ किया गया है। हस्ताक्षरित अनुरोधों के साथ-साथ, सदस्य अपने प्रश्न सदस्य ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेज सकते हैं तथा अपेक्षित सूचना ई-पोर्टल के इनबॉक्स में ई-संसाधन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2017 के दौरान सदस्यों से लगभग 429, 2018 के दौरान 500 और 2019 के दौरान 707 संदर्भ ऑनलाइन प्राप्त किए गए।

कभी-कभी काम आने वाले पत्रों को बड़ी संख्या में डिजिटल फॉर्मेट में अब इस वेबसाइट पर और इंटरानेट पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि संसद

सदस्य उन्हें ऑनलाइन देख सकें और सचिवालय में उन्हें प्रयोग में लाया जा सके। संदर्भ टिप्पणों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को ई-मेल भी किए जाते हैं।

(vii) ब्रीफिंग सत्रः माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निर्देश पर, संसद सदस्यों की क्षमता निर्माण की दिशा में एक कदम के रूप में, सदन के समक्ष महत्वपूर्ण विधान कार्य पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने के लिए संदर्भ प्रभाग द्वारा एक नई पहल की गई है। इसका उद्देश्य सदन के समक्ष विधायी मुद्दों पर संसद सदस्यों की जागरूकता में सुधार करना है। एक बार किसी एक विधेयक के पुरःस्थापित हो जाने के बाद विधेयक पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया जाता है जिसमें संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्यों को संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

अब तक, संसद के शीतलकालीन सत्र, 2019 और संसद के बजट सत्र, 2020 के दौरान उन्नीस ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए हैं। जिन विधेयकों पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019; कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019; इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) का निषेध विधेयक, 2019; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019; पोत पुनर्चक्रण विधेयक, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2019; शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019; समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 प्रत्यक्ष कर *विवाद से विश्वास* विधेयक, 2020; आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020; खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020; वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020; बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020; और गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020; इसके अलावा, सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की बजट प्रक्रियाओं और बजट प्रस्तावों पर भी जानकारी दी गई।

सदन में विधान कार्य पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई पहल की सदस्यों ने अत्यधिक सराहना की है। सदस्यों

ने चर्चाओं के संवादात्मक स्वरूप और सत्रों में साझा/आदान-प्रदान किए गए मूल्यवान विचारों की भी सराहना की है।

उपर्युक्त पहल के अलावा, संदर्भ प्रभाग ने संसद सदस्यों से सूचना के लिए प्राप्त अनुरोधों के उत्तर में जानकारी देने के लिए संसद सदस्यों को संक्षिप्त लेख उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। सदस्यों को पृष्ठभूमि सामग्री के साथ-साथ प्रदान किए गए संक्षिप्त लेखों को उनके द्वारा सराहा गया है।

(viii) संदर्भ डेस्क

इसके अतिरिक्त, संदर्भ खंड संसदीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान प्रतिनिधियों की सूचना आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु संसदीय ग्रंथालय के साथ मिलकर एक संदर्भ डेस्क स्थापित करता है। ऐसे सम्मेलनों के दौरान सामान्यतया चुनिंदा संसदीय प्रकाशन तथा संदर्भ पुस्तकें, वार्षिकी (इयर बुक्स), इत्यादि प्रदर्शित की जाती है।

अनुसंधान और सूचना प्रभाग

लार्डिस का अनुसंधान और सूचना प्रभाग, पीठासीन अधिकारियों और संसद के सदस्यों की अनुसंधान और सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। उक्त प्रभाग को निम्नलिखित विशिष्ट कार्यात्मक स्कंधों अथवा अनुभागों में अपने कार्यानुसार व्यवस्थित किया गया है:

- आर्थिक और वित्तीय मामले स्कंध
- शैक्षिक और वैज्ञानिक मामले स्कंध
- विधिक और संवैधानिक मामले स्कंध
- संसदीय मामले स्कंध
- राजनीतिक मामले स्कंध
- सामाजिक मामले स्कंध
- संसदीय सूचना पत्रिका (जेपीआई) प्रभाग
- परिपाटी एवं प्रक्रिया एकक
- सदस्य परिचय प्रकोष्ठ

(क) संक्षिप्त सार, पृष्ठभूमि टिप्पण, अभिभाषण इत्यादि

भारतीय संसदीय शिष्टमंडल समय-समय पर अंतर संसदीय संघ (आईपीयू), राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए), वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेन्ट, एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियन्स, मीटिंग ऑफ विमेन स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेन्ट, कॉन्फ्रेंसेज ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफीसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ (सीएसपीओसी) के तत्वावधान में डब्ल्यूटीओ, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जैसे विशिष्ट विषयों पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन/संगोष्ठियों, कार्यशालाओं/क्षेत्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं। भारत से विदेश जाने वाले और विदेशों से भारत में आने वाले संसदीय शिष्टमंडल भी भारत में संसद से जुड़ी जानकारी के आदान-प्रदान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इन कार्यक्रमों के संबंध में यह प्रभाग इन कार्यक्रमों के दौरान विचार-विमर्श हेतु विभिन्न विषयों पर सुअन्वेषित संक्षिप्त पृष्ठभूमि टिप्पण, अभिभाषण, संवाद बिंदु इत्यादि तैयार करता है। संकल्प के मसौदों के अलावा इन मंचों पर विचारित/अंगीकृत सामान्य अथवा विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित ज्ञापनों और उद्घोषणाओं की भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार जांच की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। यह प्रभाग आईपीयू द्वारा रखे जाने वाले संसदीय डाटाबेस के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

भारत में विधायी निकायों के अध्यक्षों के वार्षिक सम्मेलनों, इंडिया रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंसेस, अध्यक्षों के सम्मेलनों, भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) और लोकतंत्रों के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) (जिसे पहले संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो कहा जाता था) में उपयोग किए जाने हेतु भी संक्षिप्त सार, पृष्ठभूमि टिप्पणियां, अभिभाषण और संवाद बिंदु भी तैयार किए जाते हैं। भारतीय संसद द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों के आयोजन के दौरान प्रभाग द्वारा दैनिक समाचार डेस्क स्थापित किया जाता है, ताकि शिष्टमंडल के सदस्यों और प्रतिभागियों को जानकारी देने/हर नए घटनाक्रम से अवगत रखने के लिए सम्मेलन से

संबंधित समाचारों, कार्यवाहियों, कार्यक्रमों आदि के संबंध में दैनिक समाचार तैयार कर उसका परिचालन किया जा सके।

इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण सम्मेलनों से संबंधित रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं जिनमें ऐसे सम्मेलनों के चुनिंदा फोटोग्राफ और मुख्य अंश भी होते हैं।

(ख) सूचना समाचार

तात्कालिक संसदीय सरोकार के विषयों अथवा ऐसे विषयों जिन पर संसद में चर्चा की जा सकती है, को अभिज्ञात करके यह प्रभाग संसद सदस्यों के बीच परिचालित किए जाने हेतु सूचना समाचार/विधायी समाचार तैयार करता है। इन सूचना समाचारों को लोक सभा के वेबपेज *http://www.loksabha.nic.in* पर अपलोड किया जाता है।

(ग) प्रकाशन/पत्रिकाएं

यह प्रभाग संसदीय कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं तथा अन्य प्रासंगिक विषयों पर समय-समय पर अनेक पुस्तकों, पुस्तिकाओं, विवरणिकाओं, मोनोग्राफों, पेम्फलेटों इत्यादि का प्रकाशन करता है। यह प्रभाग कौल और शकधर द्वारा लिखित *'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट'* जैसे अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों को आवधिक रूप से संशोधित करता है और उन्हें अद्यतन करता है। यह प्रभाग आम चुनावों के पश्चात् नई लोक सभा के गठन के बाद *'लोक सभा सदस्य: संक्षिप्त परिचय'* और लोक सभा सदस्यों के जीवन के बारे में जानकारी देने वाली सदस्य परिचय नामक पुस्तक का भी प्रकाशन करता है। प्रभाग कम्प्यूटर (साफ्टवेयर) एकक/एनआईसी के समन्वय से वेबसाइट (*www.parliamentofindia.nic.in/www.loksabha.nic.in*) पर सदस्यों के मुख पृष्ठ का रखरखाव करता है और इसे अद्यतन करता है।

हाल ही में, दो महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। माननीय सदस्यों के लाभार्थ जून 2020 से ई-आर एंड आई पाक्षिक न्यूजलेटर प्रकाशित किया जा रहा

है जिसमें संसद ग्रंथालय में नई पुस्तकों तथा संसद और लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों और मुद्दों से संबंधित आलेख शामिल हैं। अब, आर एंड आई विभिन्न संसदीय समितियों और लोक सभा टेलीविजन की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अनुसंधान इनपुट भी प्रदान करता है।

देश के स्वतंत्रता संघर्ष में विशिष्ट भूमिका निभाने वाले तथा/अथवा हमारी संसदीय प्रणाली के विकास में वास्तविक योगदान देने वाले प्रख्यात संसदविदों की स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए उनका जीवनवृत्त 'एमिनेंट' पार्लियामेंटेरियन्स मोनोग्राफ्स सिरीज (प्रख्यात संसदविद् विनिबन्ध शृंखला)/ 'कोमेमोरेटिव वाल्यूम्स' के तहत प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा प्रभाग द्वारा लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों सहित राष्ट्रीय नेताओं के संक्षिप्त प्रोफाइल को संसद के केन्द्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए होने वाले समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों में वितरण के लिए प्रकाशित भी किया जाता है।

इस प्रभाग द्वारा *त्रैमासिक संसदीय सूचना पत्रिका* का भी प्रकाशन किया जाता है, जिसमें पद्धतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी, संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम सत्रवार समीक्षा और भारत एवं विदेश में विधान मंडलों में घटित महत्वपूर्ण संसदीय घटनाक्रमों और कार्यकलापों का उल्लेख होता है। इस पत्रिका में संसद सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा संसदीय महत्व के मुद्दों पर लिखे गए लेख भी शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडलों के सचिवों तथा अन्य को परिचालित किये जाने हेतु महासचिव के सत्रीय अ. शा. पत्र, जिसमें सभापति के महत्वपूर्ण विनिर्णय, संवैधानिक एवं प्रक्रियागत महत्व के महत्वपूर्ण आयोजन और घटनाक्रम, सत्र के दौरान लोक सभा में किए गए ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आदि का उल्लेख होता है, को प्रत्येक सत्र के अंत में प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। *आई.पी.जी. समाचार पत्रिका (त्रैमासिक)* विभिन्न संसदीय घटनाओं और भारतीय संसदीय ग्रुप (आई.पी.जी.) की विभिन्न गतिविधियों और कार्यकलापों जैसे संसदीय शिष्टमंडलों के

आदान-प्रदान, इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन, कामनवैल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ सार्क स्पीकर्स एंड पार्लियामेंटेरियन्स के सम्मेलनों, सेमीनारों, संगोष्ठियों और बैठकों आदि के बारे में जानकारी देने के लिए प्रकाशित की जाती है।

लार्डिस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं की प्रति सदस्यों को उनके अनुरोध पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अन्य सशुल्क प्रकाशन जिसमें लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें शामिल हैं, को संसद सदस्यों द्वारा उन प्रकाशनों की विक्रय कीमत पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट के साथ खरीदा जा सकता है।

संसद सदस्यों के लिए कंप्यूटर सुविधाएं

सांसदों की तत्काल सूचना संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके कार्यालयों को स्वचालित बनाने के लिए उन्हें 'कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद हेतु लोक सभा सदस्य के 'वित्तीय हकदारी योजना' के माध्यम से कंप्यूटर उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के तहत सदस्यों को कम्प्यूटर उपस्कर [डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लैपटॉप कम्प्यूटर, पेन ड्राइव, प्रिंटर (डेस्कजेट/ लेजरजेट/मल्टी फंक्शन/पोर्टेबल), स्कैनर, यू.पी.एस. (केवल डेस्कटॉप के साथ), हैंड हेल्ड कम्यूनिकेटर/कम्प्यूटर डाटा इंटरनेट कार्ड, एम.एस. आफिस सुइट] मदों की किसी भी मद अथवा सभी को खरीदने का अधिकार है। इससे सदस्यों को इंटरनेट के माध्यम से विविध प्रकार की गतिविधियों के संबंध में तत्काल और अद्यतन जानकारी लेने में; अपने कार्यालय के कार्य को व्यवस्थित करने; अपने डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त करने/भेजने में; विधायी और संसदीय मामलों आदि के संबंध में शीघ्र और सही जानकारी प्राप्त करने आदि में मदद मिलती है।

सदस्य पोर्टलः ई-संसद और पेपररहित सचिवालय की दिशा में एक पहल के रूप में, सदस्यों के लाभ के लिए एक ई-पोर्टल 17 जुलाई, 2016 को आरंभ किया गया था। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न संसदीय

उपकरणों के लिए ऑनलाइन सूचना भेजने, ऑनलाई संदर्भ सहित अनेक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। ई-पोर्टल के माध्यम से, संसद सदस्य सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जिसके उपयोग से वे पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। सदस्य स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्य काल आदि के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्यों के उपयोग के लिए समितियों की बैठकों की अनुसूची, कार्यवृत्त और एजेंडा पत्र तथा विधेयकों की अग्रिम प्रतियों, उनके संशोधनों और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। सदस्य पोर्टल के माध्यम से संदर्भ अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं और संदर्भ सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य अन्य सदस्यों को बल्क मेल और एसएमएस भेज सकते हैं। सदस्य पोर्टल से अपनी वेतन पर्ची, टीए/डीए बिल और चिकित्सा बिल भी प्राप्त कर सकते हैं।

संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा के लिए बिल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर (बीटीएस): संसद सदस्यों के बिलों के निपटान के लिए एक बिल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। सदस्य पोर्टल के माध्यम से मेडिकल, टीए/डीए, समिति दौरे आदि के संबंध में प्रस्तुत अपने बिलों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

बकाया/कोई बकाया नहीं प्रबंधन तंत्रः संसद सदस्यों को 'कोई बकाया नहीं' प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किया जा सकता है।

संसद डिजिटल लाइब्रेरी

1996 में, संसद की विभिन्न गतिविधियों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने के लिए तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद की वेबसाइट आरंभ की गई थी। हालांकि, लोक सभा होम पेज पर वाद-विवाद का पाठ 14वीं लोक सभा (2004) के बाद से और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन 13वीं लोक सभा के बाद से उपलब्ध हैं। इस प्रकार, वाद-विवाद और संसदीय समिति के

प्रतिवेदनों की एक बड़ी मात्रा केवल भौतिक रूप में संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध थी।

ऐसे सभी संसदीय दस्तावेजों के अभिलेखापरक के साथ-साथ संदर्भ मूल्य को देखते हुए, सांसदों, शोधकर्ताओं, मीडिया और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए इस तरह के समृद्ध भंडार का डिजिटलीकरण करने और ऑनलाइन उपयोग प्रदान करने के लिए एक पहल की गई थी।

डिजिटलीकरण की परियोजना जुलाई 2012 में शुरू की गई थी जिसके तहत निम्नलिखित संग्रह के 40 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया और उसे पार्लियामेंट डिजीटल लाइब्रेरी पोर्टल पर अपलोड किया गया है:

- पहली से 17वीं लोक सभा (1952-2020) तक 68 वर्षों के लोक सभा वाद-विवाद;
- राष्ट्रपति के अभिभाषणों और बजट भाषणों सहित पहली से 17वीं लोक सभा (1952-2020) के संसदीय समिति प्रतिवेदन;
- 1858 से 1952 (94 वर्ष) के ऐतिहासिक वाद-विवाद, जिसमें संविधान सभा, केंद्रीय विधानसभा और अंनतिम संसद के वाद-विवाद शामिल हैं, जिससे भारत में आधुनिक संसदीय संस्थानों की प्रगति और विकास का पता चलता है;
- चुनिंदा लोक सभा सचिवालय प्रकाशन

पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी eparlib.nic.in पर उपलब्ध है और इसका लिंक लोक सभा होम पेज पर भी दिया गया है। वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल है और एक खोज इंजन के रूप में कार्य करती है। इसमें 4 लाख से अधिक फाइलें हैं। अधिक जानकारी के लिए सदस्य 23034060 और 23035481 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रलेखन सेवा

संसद ग्रंथालय की प्रलेखन सेवा, जिसे 1975 में स्थापित किया गया था, मुख्य रूप से संसद ग्रंथालय में प्राप्त पत्रिकाओं/जर्नलों में प्रकाशित लेखों, जो

संसद सदस्यों के लिए रुचि के हो सकते हैं, को सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। चयनित लेखों की अनुक्रमित प्रविष्टियों में वर्गीकरण की विशेष रूप से तैयार की गई योजना के अनुसार ग्रंथ सूची जैसे लेखक का नाम और लेख का शीर्षक, प्रकाशन का नाम, तिथि और वर्ष, उपयुक्त व्याख्या और विषय शीर्षक अंतर्विष्ट होते हैं। एक पखवाड़े के लिए लेखों की अनुक्रमित प्रविष्टियों को लिबसिस सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है। चयनित लेखों की ग्रंथ सूची पहले 'डॉक्यूमेंटेशन फोर्टनाइट्ली' (जनवरी 1975 से दिसंबर 1988) शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई थी। हालाँकि, जनवरी 1989 से इसे 'पार्लियामेंटरी डॉक्यूमेंटेशन' शीर्षक के साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

अगस्त 2008 से, यह सेवा हिन्दी में 'संसदीय प्रलेखन' शीर्षक से भी एक प्रकाशन ला रही है, ताकि उन सभी उपयोगकर्ताओं की जानकारी की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जो संसद ग्रंथालय में प्राप्त होने वाली हिन्दी पत्रिकाओं में प्रदर्शित होने वाले लेखों की ग्रंथ-सूची का विवरण लेना चाहते हैं।

प्रलेखन सेवा में सुधार के लिए, लिबसिस 7 सॉफ्टवेयर का एक उन्नत संस्करण फरवरी 2016 में स्थापित किया गया था, जिसमें प्रत्येक लेख के पाठ को शीर्षक लिंक के माध्यम से अपने ग्रंथ सूची के साथ लिंक करने की सुविधा है। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक लेख के पाठ को स्कैन किया जाता है, उसकी पीडीएफ फाइल तैयार की जाती है और इसे अंग्रेजी हिंदी दोनों में ग्रंथ-सूची के साथ जोड़ा जाता है। संसद भवन परिसर के भीतर संसद ग्रंथालय होम पेज के माध्यम से शीर्षक पर क्लिक मात्र से लेखों के पाठ को देखा और प्राप्त किया जा सकता है।

'पार्लियामेंटरी डॉक्यूमेंटेशन' और 'संसदीय प्रलेखन' के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को संसद सदस्यों तथा लोक सभा और राज्य सभा के अधिकारियों को उनके ईमेल पते पर भेजा जा रहा है। प्रकाशनों को *http://parliamentlibrarry india.nic.in/issue.aspx→'Parliamentary Documentation'* (अंग्रेजी

में) तथा *http://164.100.47.194/loksabhahindi/Library/Issue.aspx*→ '*Sansadiya Pralekhan*' (हिन्दी में) वेब पतों पर भी उपलब्ध कराया जाता है। सूचीबद्ध लेखों को विभिन्न मापदंडों जैसे कि लेखक का नाम, लेख का शीर्षक, प्रकाशन का नाम और वर्ष, लेखों का विषय, इत्यादि संसद ग्रंथालय होमपेज पर "कैटलॉग सर्च" के माध्यम से ऑनलाइन खोजा जा सकता है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में वर्तमान विषयों के महत्वपूर्ण लेख भी संदर्भ उद्देश्य के लिए एक ही वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपलोड किए जा रहे हैं।

यद्यपि, 'पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन' और 'संसदीय प्रकाशन' संसद ग्रंथालय होम पेज पर उपलब्ध हैं, लेकिन प्रकाशनों की कुछ जनरेटेड प्रतियाँ संसद सदस्यों और दोनों सचिवालय के अधिकारियों के परामर्श के लिए संसद ग्रंथालय में रखी जाती हैं। संदर्भ प्रयोजन के लिए 'डॉक्यूमेंटेशन फोर्टनाइट्ली' (1975–1988) और 'संसदीय प्रलेखन' (अगस्त 2008) के जिल्दबद्ध संस्करण भी उपलब्ध है।

रिप्रोग्राफी सेवा

1975 में स्थापित रिप्रोग्राफी सेवा, महत्वपूर्ण प्रेस क्लिपिंग, संसदीय प्रश्नों के उत्तरों और वाद-विवाद में अंतर्विष्ट जानकारी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपे लेखों तथा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के उद्धरणों की फोटोकॉपी के द्वारा संसद के सदस्यों/पूर्व सदस्यों, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और शाखाओं, अनुसंधान अध्येताओं तथा लोक सभा और राज्य सभा की दीर्घाओं से संबंद्ध मीडिया के लोगों की आधिकारिक फोटोकॉपी की जरूरतों को पूरा करती है।

यह सेवा संसद के सदस्यों/पूर्व सदस्यों के व्यक्तिगत पत्राचार और दस्तावेजों आदि की फोटोकॉपी और हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटराईज्ड टाइपिंग की सुविधा प्रदान करती है। फोटोकॉपी के लिए प्रति कॉपी 1 रुपये का नाममात्र शुल्क लिया जाता है तथा अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग कार्य के लिए कार्य के अनुसार 6/5 रुपए प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जाता है।

रिप्रोग्राफी सेवा की तीन अलग-अलग इकाइयाँ हैं, अर्थात् (क) संसद सदस्य रिप्रोग्राफी एवं टंकण एकक, 045, संसद भवन (भुगतान के आधार पर) (ख) संसद सदस्य रिप्रोग्राफी एकक, जी-037, पीएलबी (भुगतान के आधार पर) और; (ग) शोध/संदर्भ रिप्रोग्राफी एकक, एफबी-54 और 54ए, पीएलबी।

प्रेस कतरन सेवा

प्रेस कतरन सेवा 1956 में सीमित स्तर पर सामयिक विषयों पर संसद सदस्यों तथा अन्य की सूचना आवश्यकताओं के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह सेवा विधायी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुई घटनाओं पर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक, अद्यतन समाचार मदें, संपादकीय टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेख एकत्रित करती है। ये कतरनें देश के विभिन्न भागों में प्रकाशित होने वाले 11 हिंदी और 18 अंग्रेजी के समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हिन्दी समाचार पत्र हैं– बिज़नेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण, इकोनोमिक टाइम्स, हिन्दुस्तान, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा (सभी नई दिल्ली से प्रकाशित), आज (वाराणसी), लोकमत समाचार (नागपुर), पंजाब केसरी (पानीपत), राजस्थान पत्रिका (जयपुर)। अंग्रेजी समाचार पत्रों में एशियन एज़, बिज़नेस स्टैंडर्ड, इकोनोमिक टाइम्स, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, हिन्दू बिज़नेस लाइन, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, स्टेट्समैन, द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून (सभी नई दिल्ली से प्रकाशित), असम ट्रिब्यून (गुवाहाटी), डक्कन हेराल्ड (बंगलुरू), फ्री प्रेस जर्नल (मुम्बई), कश्मीर टाइम्स (जम्मू), टेलीग्राफ (कोलकाता), द हिन्दू (चेन्नई) शामिल हैं।

प्रेस कतरनों का उपयोग व्यापक रूप से सदस्यों, शोध और संदर्भ स्टाफ और साथ ही लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों की विभिन्न शाखाओं, संसद ग्रंथालय का दौरा करने वाले शोधकर्त्ताओं तथा अधिकृत पत्रकारों द्वारा भी किया जाता है।

2017 से, प्रेस कतरन सेवा पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हो गई है। प्रत्येक चयनित समाचार की पीडीएफ फाइलें तैयार की जाती हैं और एनआईसी द्वारा विकसित विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाती हैं। इन प्रेस कतरनों को संसद भवन परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) में जुड़े कम्प्यूटरों से संसद ग्रंथालय होम पेज के माध्यम से विषय-वार, तिथि-वार, समाचार-पत्र-वार और वर्गीकरण-सं.-वार देखा और प्राप्त किया जा सकता है।

2017 से पूर्व की अवधि की प्रेस कतरनों को विषय फोल्डरों में कालानुक्रमिक रूप से अनुरक्षित किया जाता है और ड्यूइ दशमलव वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित विशेष रूप से तैयार वर्गीकरण योजना के अनुसार उचित क्रम में लगाया जाता है। इन फोल्डरों को जारी नहीं किया जाता है, लेकिन संसद ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष और प्रेस कतरन अनुभाग में देखा जा सकता है।

प्रेस कतरनों को पांच साल तक बरकरार रखा जाता है। हालांकि, अभिलेखीय मूल्य की महत्वपूर्ण कतरनों और संवैधानिक, संसदीय और विधिक विकास को प्रभावित करने वाली कतरनों को स्थायी रूप से बनाए रखा जाता है।

श्रव्य-दृश्य और प्रसारण एकक

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में हुई प्रगति और संसद में होने वाली बहस के संबंध में सभी नागरिकों को जानकारी दिलाने के दृष्टिगत राज्य सभा सचिवालय और लोक सभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही को रिकार्ड करने और उसे प्रसारित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में उस समय एक शुरुआत की गई थी, जब संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के संबोधन का 20 दिसम्बर, 1989 को पहली बार 'सीधा प्रसारण' किया गया था। बाद में कार्यवाही के उपलब्ध रिकॉर्डों को यू-मैटिक, बीटाकैम, वी.एच.एस., डी.वी.सी. प्रो कैसेट के रूप में देखने और रखने के लिए 1992 में एक दृश्य-श्रव्य ग्रंथागार स्थापित किया गया।

लोक सभा की कार्यवाही 22 मार्च, 2006 तक यू-मैटिक कैसेटों/बीटाकैम टेपों पर रिकार्ड की गई थी और 13 फरवरी, 2019 तक डी.वी.सी. प्रो कैसेटों पर रिकॉर्ड की जा रही थी। तथापि, 17 जून, 2019, से लोक सभा की कार्यवाहियां प्रोफेशनल डिस्कस पर रिकार्ड की जा रही हैं।

लोक सभा, संसदीय आयोजनों की कार्यवाहियों और लोक सभा टेलीविजन चैनल के कार्यक्रमों की रिकार्डिंग्स की डीवीडी की प्रतियां प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य दृश्य-श्रव्य और प्रसारण एकक से संपर्क कर सकते हैं जो सदस्यों से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही करता है। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग सदस्यों के पोर्टल पर अपलोड की जाती है। प्रत्येक सदस्य के भाषणों को सदस्य पोर्टल पर उनके संबंधित अकाउंट पर अपलोड किया जाता है। तथापि, सदस्यों द्वारा इन रिकार्डिंग्स का केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए।

दृश्य कक्ष सहित यह एकक संसद ग्रंथालय, संसद भवन में 1992 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2002 में संसद ग्रंथालय का स्थान बदलने के बाद से दृश्य-श्रव्य और प्रसारण एकक संसद ग्रंथालय भवन में कमरा सं. जी-140 (भूतल) से कार्य कर रहा है जिसमें एक 'दृश्य कक्ष' तथा एक 'संपादन कक्ष' है। यह एकक सामग्री के संग्रहण, परिग्रहण, संरक्षण और संसदीय कार्यवाहियों और अन्य संसदीय समारोहों जैसे सम्मेलन, संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, कार्यशालाएं, संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर टेलीफिल्में तथा लोक सभा टेलीविजन चैनल (एलएसटीवी) के कार्यक्रमों के कैसेटों को तत्काल पुन:प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करने के कार्य को देखता है। संसद सदस्यों के लिए वीडियों रिकार्ड्स देखने/सुनने की सुविधा है। लोक सभा सदस्यों को उनके उपयोग हेतु उनके भाषणों की प्रतियों को डीवीडी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। यह एकक कार्यक्रमों की रिकार्डिंग के लिए लोकसभा टीवी चैनल को ब्लैंक कैसेट्स/डीवीडी/वीसीडी/PFDs भी प्रदान करता है तथा रिकॉर्ड किए गए कैसेटों का परिरक्षण भी करता है।

श्रव्य-दृश्य ग्रंथालय वर्ष 1992 से लोक सभा की चुनिंदा रिकॉर्डिंग्स को और वर्ष 1994 से पूरी रिकॉर्डिंग्स को प्रसारण योग्य गुणवत्ता के वीडियो कैसेट्स में परिरक्षित कर रहा है। यह एकक वर्ष 1992 से राज्य सभा की कार्यवाहियों को वीसीडी/डीवीडी फार्मेट में परिरक्षित भी करता है।

चुनिंदा संसदीय कार्यवाही का प्रसारण 20 दिसंबर, 1989 को संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के सीधा प्रसारण के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण नियमित आधार पर किया जा रहा है। प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार संसद की दोनों सभाओं में प्रश्न काल की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया गया और दूसरे दिन सुबह प्रसारित किया गया। 2 दिसंबर 1991 को पहली बार लोक सभा में प्रश्नकाल का वीडियो रिकार्ड किया गया और दूसरे दिन सुबह यानि 3 दिसंबर, 1991 को इसे प्रसारित किया गया। इसी प्रकार, 9 दिसंबर, 1991 को पहली बार राज्य सभा के प्रश्न काल का वीडियो रिकार्ड किया गया और इसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन सुबह प्रसारित की गई। बाद में रेल और आम बजट का पहली बार सीधा प्रसारण क्रमशः 25 फरवरी, 1992 और 29 फरवरी, 1992 को किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री लोक सभा में विपक्ष के नेता और विभिन्न अन्य दलों के नेताओं के महत्त्वपूर्ण भाषणों का संक्षिप्त प्रसारण दर्शकों के लाभ हेतु विभिन्न दलों के विचारों को सामने लाने के लिए किया गया। प्रारंभ में लोक सभा के चुनिंदे कार्यवाही को ही रिकार्ड किया जाता था। 18 अप्रैल, 1994 से लोक सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है।

लोक सभा कार्यवाही 'लाइव' का प्रसारण करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में, संसद भवन से 10 से 15 किमी की दूरी के भीतर प्रसारण करने के लिए 25 अगस्त 1994 को संसद भवन में एक लो पावर ट्रांसमीटर (एलपीटी) स्थापित किया गया था। एक और लो पावर ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ, राज्य सभा की कार्यवाही का 7 दिसंबर, 1994 से लाइव प्रसारण किया गया था। तब से, दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर पूरे देश में, दोनों सदनों

के 'प्रश्नकाल' की कार्यवाही भी हर सप्ताह बारी-बारी से लाइव प्रसारित की गई थी। आकाशवाणी भी, हर सप्ताह बारी-बारी से दोनों सदनों के प्रश्नकाल की रिकार्डिंग का प्रसारण करता है। डीडी न्यूज चैनल के लॉन्च के बाद से, दूरदर्शन संसद के वर्ष 2003 के शीतकालीन सत्र से, हर सप्ताह बारी-बारी से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल और डीडी न्यूज चैनल पर लोक सभा और राज्य सभा दोनों के प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण कर रहा है।

राज्य सभा और लोक सभा की कार्यवाही के 'लाइव' प्रसारण के लिए ऑडियो विजुअल यूनिट के समन्वय में दूरदर्शन द्वारा 14 दिसंबर, 2004 को दो अलग समर्पित उपग्रह चैनल स्थापित किए गए थे। 24 जुलाई 2006 से, एलएसटीवी चैनल लोक सभा की कार्यवाही 'लाइव' प्रसारण कर रहा है। लोक सभा सचिवालय द्वारा 24 घंटे का चैनल चलाया जा रहा है, सर्विस किया जा रहा है और वित्त पोषित किया जा रहा है। सत्र अवधि के दौरान लोक सभा की कार्यवाही का प्रसारण करने के अलावा, चैनल सामयिक हितों के विषयों पर कई कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण भी करता है।

लोक सभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, प्रसारण वेबकास्टिंग और प्रसारण और अन्य संसदीय कार्यक्रमों और गतिविधियों और संसद सदस्यों, मीडिया और अन्य सदस्यों को कैसेट या डिस्क की आपूर्ति के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारण स्थापित मानदंडों और मानकों के अनुसार है। इन दिशानिर्देशों को आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

ऑडियों-विजुअल और टेलीकास्टिंग यूनिट दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो के साथ संसद परिसर और अन्य जगहों पर आयोजित अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों की कार्यवाही के प्रसारण के लिए समन्वय करता है। यूनिट सभी संबंधित एजेंसियों को बुनियादी ढांचागत और अन्य सहायता प्रदान करके प्रभावी और निर्बाध प्रसारण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करता है। यह इकाई लोक सभा और राज्य सभा दोनों 'प्रश्नकाल' की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी के साथ समन्वय करता है।

संसदीय कार्यवाहियों की वीडियों रिकार्डिंग और टेलीवाइजिंग के विस्तार के रूप में विभिन्न संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं तथा संसद सस्दयों और अन्य उपयोग के लिए अन्य संबंधित विषयों पर वीडियो फिल्में तैयार की गई हैं। छह संसदीय फिल्में अब तक बनाई गई हैं। ये हैं: 'गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक', 'संसदीय प्रश्न', 'संसदीय शिष्टाचार और तौर-तरीके', 'वित्तीय समितियां', 'विधानमंडलों में वाद-विवाद को समृद्ध बनाया जाना' और 'प्रभावी सांसद कैसे बनें'।

प्रेस एवं जनसंपर्क स्कंध

लोक सभा सचिवालय के प्रेस एवं जनसंपर्क (पी.पी.आर.) स्कंध का गठन अप्रैल, 1956 में लोक सभा की कार्यवाही कवर करने के लिए मीडिया को सुविधाएं प्रदान करने और संसदीय संवाददाताओं और विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रचार संगठनों और संचार मीडिया के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया था ताकि लोक सभा की संसदीय तथा अन्य गतिविधियों का प्रचार किया जा सके।

यह स्कंध लोक सभा की प्रेस दीर्घा (123 मीडियाकर्मियो के बैठने की क्षमता वाली) से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है जिसमें सभा की कार्यवाही कवर करने वाले संवाददाताओं को प्रेस दीर्घा पास जारी करने और उन्हें कार्यात्मक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

प्रदत्त सुविधाओं में संसदीय पत्र, दैनिक कार्यसूची, समिति प्रतिवेदन, सभा पटल पर रखे गये अन्य पत्र आदि शामिल हैं। ये सुविधाएं उन सभी प्रत्यायित संवाददाताओं को प्रदान की जाती हैं जिन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा एक वर्ष के लिए फोटो लेमिनेटिड पास दिये जाते हैं। अनुरोध किए जाने पर नि:शुल्क फोटोकॉपी और स्थानीय फैक्स सुविधा भी प्रदान की जाती हैं। वे संसद ग्रंथागार में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा अन्य साहित्य का भी उपयोग कर सकते हैं। संसद सदस्यों को उपलब्ध दृश्य-श्रव्य एकक में संसदीय कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग को देखने की सुविधाओं के साथ-साथ वाद-विवादों आदि के फुटेज लेने की सुविधा मीडिया कर्मियों को भी प्रदान की गयी है।

प्रेस दीर्घा में मीडिया कर्मियों को संसद की कार्यवाहियों के युगपत् भाषांतरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। संसद भवन में लोक सभा की प्रेस दीर्घा के निकट मीडिया के प्रतिनिधियों को तीन सुसज्जित प्रेस कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। संसदीय ग्रंथालय भवन में एक मीडिया वर्कस्टेशन है, जिसमें टेलीविजन, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा सहित 10 कम्प्यूटर हैं ताकि मीडियाकर्मी अपने संबंधित मीडिया संगठनों को खबरें भेज सकें। पत्रकार सभा की कार्यवाहियों को देख सकें, इसके लिए प्रेस दीर्घा और प्रेस कक्षों में बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट भी रखे गये हैं। मीडिया कर्मियों को कक्ष सं. 54 और 73, संसद भवन में कैंटीन सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

लोक सभा अध्यक्ष द्वारा हर वर्ष लोक सभा की प्रेस दीर्घा के मान्य मीडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों में से 25 सदस्यों वाली लोक सभा की प्रेस सलाहकार समिति गठित की जाती है। समिति के मुख्य कार्य हैं: (i) दीर्घा से सभा की कार्यवाही और/अथवा किसी अन्य संसदीय घटना अथवा गतिविधि को देखने और कवर करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों को अस्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने की सिफारिश करना; (ii) सभा की कार्यवाहियों को प्रतिवेदित करने वाले समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों को स्थायी प्रवेश-पत्र जारी करने की सिफारिश करना; (iii) समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/मीडिया के प्रतिनिधियों के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच करना और उचित कार्रवाई हेतु लोक सभा अध्यक्ष को सिफारिश करना; (iv) लोक सभा अध्यक्ष से उन सुविधाओं की सिफारिश करना जो उक्त प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दी जा सकती हैं; और (v) उक्त प्रतिनिधियों के कार्यों से संबंधित अन्य कार्यों को करना।

लोक सभा के सत्रों और संसदीय समितियों की बैठकों, विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों के भारत के दौरों तथा भारतीय शिष्टमंडलों के अन्य देशों के दौरों एवं संसद भवन परिसर में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में प्रेस और जन-संपर्क स्कंध द्वारा प्रेस

विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। यह स्कंध भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्रा के दौरान मीडिया से संबंधित काम संभालता है। पीपीआर स्कंध का विभिन्न मीडिया संगठनों-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और एजेंसियों के साथ सुस्थापित संपर्क है ताकि जारी किए गए प्रेस मामलों के लिए प्रचार सुरक्षित किया जा सके।

आम जनता तक पंहुचने और ऑनलाइन जुड़ाव बढ़ाने तथा मीडियों और अन्य लोगों तक तत्काल पहुंचने के प्रयासों में स्कंध प्रेस विज्ञप्ति, तस्वीरों आदि को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जारी करता है।

मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित मीडिया केन्द्रों की स्थापना करके महत्वपूर्ण संसदीय सम्मेलनों के व्यापक कवरेज के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संसदीय समितियों के अध्यक्षों के सभी प्रेस सम्मेलनों का आयोजन प्रेस एवं जनसंपर्क स्कंध द्वारा किया जाता है। प्रेस दीर्घा के लिए प्रत्यायित संवाददाताओं के साथ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव, लोक सभा की बैठकों की व्यवस्था भी इस स्कंध द्वारा की जाती है।

पीपीआर स्कंध राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनावों के लिए; आम चुनाव के बाद नई लोक सभा के गठन के लिए; और संसद भवन परिसर के अंदर और बाहर आयोजित अन्य विशेष कार्यक्रमों के लिए आवश्यक मीडिया संबंधी व्यवस्था भी करता है।

इस स्कंध द्वारा नयी लोक सभा के गठन के तत्काल बाद लोक सभा की 'सदस्य परिचय' नामक प्रकाशन, जिसमें सदस्यों के जीवनवृत्त हैं, में शामिल किए जाने हेतु फोटो एकत्र किए जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के फोटो खींचने हेतु एक अस्थायी स्टूडियो की स्थापना की जाती है।

सभा में अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य की सुगम पहचान के लिए सदस्यों के फोटो (चित्रों) और उनके नामों, दल संबद्धता तथा विभाजन संख्या दर्शाने वाला चार्ट इस स्कंध द्वारा तैयार किया जाता है जिसे सदन में अध्यक्ष के पटल पर रखा जाता है। यह सभा के अन्य अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सूचना फोल्डरों को अद्यतन/संशोधित किया जाता है जो संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों, प्रेस संवाददाताओं और संसद के आगंतुकों में वितरित किये जाते हैं।

यह स्कंध, लोकसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन बिलों के प्रसंस्करण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

भारतीय संसद के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले कैलेंडर प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं जिन्हें संसद सदस्यों, गणमान्य व्यक्तियों, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है।

सदस्य परिचय प्रकोष्ठ और तदर्थ प्रकाशन इकाई

सदस्य परिचय प्रकोष्ठ और तदर्थ प्रकाशन इकाई को हर आम चुनाव और नई लोक सभा के गठन के बाद नव निर्वाचित सदस्यों के जीवनवृत्त के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी या आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी जीवनवृत्त तैयार करने और जीवनी प्रकाशन के लिए संपादित की जाती है। प्रकोष्ठ नियमित आधार पर तीन प्रकाशन के लिए संपादित की जाती है। प्रकोष्ठ नियमित आधार पर तीन प्रकाशन करता है, वे हैं: (i) नई लोक सभा के सदस्यों के स्थायी पता के साथ जीवनवृत्त वाला एक द्विभाषी प्रकाशन; (ii) लोक सभा में दिल्ली के पते और डिवीजन संख्या के साथ उसी प्रकाशन के संशोधित संस्करण; और (iii) प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में चुनाव परिणामों के साथ सदस्यों के विस्तृत जीवनवृत्त और श्रेणी-वार जानकारी, जैसे कि महिला

सदस्य, राज्य-वार, पार्टी-वार, सदस्यों की सूची-वार सूची और अन्य सांख्यिकीय जानकारी के साथ लोक सभा का 'सदस्य परिचय' (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। प्रकोष्ठ सदस्यों द्वारा प्रकाशित जानकारी को संपादित करता है, इसे प्रामाणिक स्रोतों से क्रॉस-चेक करता है और इसे संबंधित सदस्यों से अधिप्रमाणित करता है।

प्रकोष्ठ समय-समय पर सौंपा गया 'प्रोफाइल हैंडबुक' भी प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के दौरान प्रतिनिधियों के उपयोग के लिए होता है। इसके अलावा, प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त विभिन्न अनुरोधों की जांच करता है और आवेदकों द्वारा मांगी गई जीवनवृत्त और सांख्यिकीय डेटा के संबंध में लोक सभा के सदस्यों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रकोष्ठ इस तरह के अन्य प्रकाशन भी करता है और समय-समय पर सौंपे गए तदर्थ मदों में भाग लेता है, आखिरी ऐसा प्रकाशन हार्ड बाउंड डिलक्स और पॉकेट आकार दोनों में भारत के संविधान का अद्यतन हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण था।

बाल कक्ष

बाल कक्ष को मुख्य संसद ग्रंथालय के शाखा पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया है। जहां तक विधानमंडल ग्रंथालयों का संबंध है तो संसद ग्रंथालय में बाल कक्ष अद्वितीय व्यवस्था है। बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था नेशनल डाइट लाइब्रेरी ऑफ जापान में भी विद्यमान है। यह कक्ष कमरा संख्या जी-131, भूमि तल, 'ई'-ब्लॉक, संसद ग्रंथालय भवन में स्थित है।

बाल कक्ष का उद्घाटन तत्कालीन माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा 21 अगस्त, 2007 को किया गया था। संसद ग्रंथालय में 'बाल कक्ष' स्थापित करने की उनकी अवधारणा बच्चों, विशेषकर समाज के सुविधाहीन वर्गों के बच्चों, जो उत्तम एवं संसाधनयुक्त ग्रंथालय की सुविधा से वंचित हैं, को सुगमता से ज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में एक पहल थी। इसे बच्चों में अध्ययन की आदत विकसित करने और उन्हें संसद ग्रंथालय के विशाल संसाधनों तथा संसद संग्रहालय एवं अभिलेखागार में प्रदर्शित वस्तुओं से रूबरू होने के लिए अभिकल्पित किया गया था।

एक उचित तरीके से सजाए गए, बाल कक्ष में अंग्रेजी में 2400 किताबें हिन्दी में 1600 किताबें और क्षेत्रीय भाषाओं में 100 पुस्तकें हैं साथ ही, इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित कई सीडी और डीवीडी भी हैं। हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में बच्चों की रुचि के ग्यारह आवधिक/समाचार-पत्र बाल कक्ष के लिए खरीदे जा रहे हैं। बाल कक्ष में उपलब्ध दस्तावेज/सीडी/डीवीडी केवल लाइब्रेरी में परामर्श/उपयोग के लिए हैं और जारी नहीं की जाती हैं। बाल कक्ष में इंटरनेट सुविधा वाले कम्प्यूटर से लैस एक अच्छी तरह से विकसित मल्टीमीडिया सेंटर भी है। बच्चों को शैक्षिक उपकरण के रूप में कम्प्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बाल कक्ष को गतिविधियों का एक संवाद केन्द्र बनाने के लिए समय-समय पर ड्राइंग प्रतियोगिता, चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिता जैसे विशेष आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त स्कूलों और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चों के छोटे समूह बाल-कक्ष का नियमित उपयोग कर रहे हैं।

8 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इस बाल कक्ष का सदस्य बनने के पात्र हैं। (क) संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के बच्चे जिन्होंने संसद ग्रंथालय की सदस्यता प्राप्त की है; (ख) लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालयों और संसदीय कार्य मंत्रालय के स्थायी कर्मचारियों के बच्चे; (ग) लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घ के लिए अधिकृत पत्रकारों के बच्चे; (घ) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित बच्चे; (ङ) मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्रायोजित बच्चे; और (च) संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित बच्चों को बाल कक्ष सदस्यता दी जा सकती है। सदस्यता फॉर्म बाल कक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसे संसद ग्रंथालय की वेबसाइट अर्थात *http://parliament libraryindia.nic.in* से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

लोक सभा वेबसाइट

सदस्यों और जनता के लिए सूचना की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास में, लोक सभा वेबसाइट सदन और इसकी समितियों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक और अद्यतित जानकारी प्रदान करती है।

संसद संदस्यों और जनसाधारण की सुविधा के लिए लोक सभा वेबसाइट पर सूचनाओं को सुसंगत एवं प्रयोक्ता हितैषी ढंग से व्यवस्थित किया गया है। संसदीय सूचनाओं के प्रमुख घटक अब लोकसभा होम पेज (*https://loksabhahindi.nic.in*) पर निम्नानुसार उपलब्ध है;

(i) **सदस्यः** वर्तमान सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार, राज्य-वार, दल-वार सूचियां, महिला सदस्यों, नाम-निर्देशित सदस्यों, रिक्तियों, पतों, ई-मेल पतों का ब्यौरा लोक सभा के अनुभव को दर्शाते हुए सदस्यों (पहली से सत्रहवीं लोक सभा तक) की समेकित सूची, पहली लोक सभा से आरंभ करके सदस्यों का जीवन-वृत्त; सदस्यों के बायोडाटा को दर्शाते हुए लोक सभा के प्रत्येक वर्तमान सदस्य के लिए होम पेज, संसदीय कार्यवाही में उसकी भागीदारी से संबंधित ब्यौरा, प्रश्नों, विधेयकों, प्रस्तावों और उसके निर्वाचन क्षेत्र के विकास आदि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एमपीलैड्स सदस्यों की उपस्थिति, वेतन अधिनियम और सदस्यों के लिए नियम, सदस्यों के लिए सुविधाएं, सदस्यों के लिए कंप्यूटर उपकरण स्कीम तथा सदस्यों पर वहन किए गए व्यय से संबंधित ब्यौरे भी उपलब्ध हैं।

(ii) **कार्यः** सभा के कार्य, संसदीय समाचार भाग-I एवं II, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की सूची विशेष उल्लेख और प्रत्येक सत्र के दौरान किए गए कार्य के सारांश से संबंधित सूचनाएं यहां उपलब्ध हैं।

(iii) **प्रश्नः** इसमें प्रश्न सूची, 1984 से 1999 तक की अवधि के दौरान प्रश्नों का चयन करने के लिए विभिन्न खोज सुविधाओं और अनुक्रमणिकाओं सहित नवम्बर 1999 से आगे की अवधि के लिए प्रश्नों और उत्तरों, जुलाई 2000 से आगे की अवधि के लिए पूरक प्रश्नों और उत्तरों का पाठ अंतर्विष्ट है।

(iv) **वाद-विवादः** इसमें दैनिक वाद-विवादों का पाठ, वाद-विवादों का सारांश, संविधान सभा के वाद-विवाद और मार्च 1998 से आगे (12वीं लोक सभा) विभिन्न खोज सुविधाओं के साथ वाद-विवाद अंतर्विष्ट है। घंटे के हिसाब

से और पूरे दिन के वाद-विवाद का असंशोधित संस्करण उसी दिन या अगले दिन उपलब्ध करा दिया जाता है जो सभा की अवधि पर निर्भर करता है।

(v) **विधायी कार्यः** इस डाटाबेस में लोक सभा और राज्य सभा में पुरःस्थापित सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों से संबंधित सूचनाएं अंतर्विष्ट हैं। शीर्षक-वार सदस्य/मंत्रालय-वार, श्रेणी-वार खोज विकल्प, दोनों सभाओं में विधेयकों के पारण के संबंध में सूचना, लोक सभा में लंबित विधेयकों की सूची, समितियों को भेजे गए विधेयकों और अधिसूचना की विभिन्न तारीखों से संबंधित सूचनाएं भी संबंधित हैं।

(vi) **सभा पटल पर रखे गए पत्रः** इस डाटाबेस में फरवरी, 2013 से सभा पटल पर रखे गए पत्रों के शीर्षक अंतर्विष्ट हैं। डाटाबेस में शीर्षक मंत्रालय और सत्र-वार खोज के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

(vii) **समितियांः** इस शीर्ष के अंतर्गत समितियों की संरचना, सदस्यता, अध्यक्ष चयनित विषय, समिति की बैठकों के कार्यक्रम, प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन, समितियों को भेजे गए विधेयक प्रेस विज्ञप्तियां तथा सभी वित्तीय, विभाग संबंधित स्थायी, तदर्थ और संयुक्त संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों से संबंधि त सूचना उपलब्ध है।

(viii) **सरकारी आश्वासनः** इस डाटाबेस में सभा में सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न सरकारी आश्वासनों से संबंधित सूचना दी गई है।

(ix) **सदस्य पोर्टलः** सदस्य विभिन्न संसदीय उपायों जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शून्य काल और नियम 377 के अधीन मामले आदि से संबंधित सूचनाएं ई-पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, इन सूचनाओं की स्थिति के बारे में ऑनलाइन पता किया जा सकता है। वितरण शाखा द्वारा परिचालित किए विभिन्न पत्रों जैसे कार्यावलि, संशोधित कार्यावलि, समाचार भाग-I, भाग-II आदि को साथ-साथ ई-पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यक्रम,

कार्यवृत्त और समितियों के कार्यसूची पत्र तथा सरकारी विधेयकों, उनके संशोधनों और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की अग्रिम प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अतिरिक्त, संसद के संबंध में सामान्य सूचना अर्थात् लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम, अध्यक्ष द्वारा निदेश, संसदीय कार्य के निपटान के लिए भारत सरकार की नियम पुस्तिका, संसद सदस्यों के साथ बर्ताव के संबंध में सरकारी निर्देश, संसद भवन और संसदीय ग्रंथागार का आभासी भ्रमण होम पेज पर उपलब्ध है। सभा के नेता, विपक्ष के नेता, मंत्रिपरिषद्, सभापति तालिका, महासचिव और संसदीय पत्रिका से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है। इसके अलावा, राज्य सभा; भारत के राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री; मंत्री; राज्य और संघराज्य क्षेत्र; निर्वाचन आयोग; भारतीय न्यायालय-उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय; अंतर-संसदीय संघ; राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के लिंक भी 'विधायी साइटें', 'न्यायिक/विधिक साइटें' और 'सरकारी साइटें' शीर्षों के अंतर्गत दिए गए हैं।

मुख्य लोक सभा होम पेज के अलावा, लोक सभा वेबसाइटों पर निम्नलिखित पृथक वेबसाइटों के लिंक भी दिए गए हैं:-

- लोक सभाध्यक्ष वेबसाइट
  (https://speakerloksabha.nic.in)
- संसदीय ग्रंथागार वेबसाइट
  (https://parliamentlibraryindia.nic.in)
- संसदीय डिजिटल ग्रंथालय
  (https://eparlib.nic.in)
- प्रेस एवं जन सम्पर्क
  (https://pprloksabha.nic.in)
- संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (पीआरआईडीई)
  (https://bpst.nic.in)

- भारत में विधायी निकाय
  (https://legislativebodiesinindia.nic.in)
- लोक सभा टेलीविजन चैनल (एलएसटीवी)
  (https://loksabhatv.nic.in)
- भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी)
  (https://ipg.nic.in)
- संसदीय संग्रहालय वेबसाइट
  (https://parliamentmuseum.org/indextry.html)
- मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए लोक सभा प्रश्न एवं उत्तर पोर्टल
  (https://pqals.nic.in)
- लोक सभा सदस्य पोर्टल
  (https://memberls.nic.in)

राज्य सभा में स्थिति

देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की शुरूआत के साथ राज्यसभा सचिवालय ने भी अपने कार्यकरण में आईसीटी उपकरणों के उपयोग की संभावना तलाशनी शुरू की और अपने विभिन्न कार्यकलापों को स्वचालित करने के लिए दिसम्बर 1987 में इस दिशा में पहला कदम उठाया। इसके बाद अनुभागों की अपेक्षाओं/फीडबैक के अनुसार अनेक एप्लीकेशन/पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की सहायता से सचिवालय के सभी कार्यकलाप अब स्वचालित कर दिए गए हैं। सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और राज्य सभा सदस्यों को आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता प्रदान करने के लिए संसद भवन और संसदीय सौध में एक-एक सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग और एन.आई.सी. केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(क) राज्य सभा वेबसाइट पर उपलब्ध संसदीय जानकारी

राज्य सभा की वेबसाइट इंटरनेट पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध हैं और इन्हें वेबसाइट पता क्रमशः *http://rajyasabha.nic.in* और *http://rajyasabhahindi.nic.in* पर देखा जा सकता है। ये दो पृथक् वेबसाइट हैं और विशेष रूप से राज्य सभा के लिए तैयार की गई हैं और इस पर भारतीय संसद की वेबसाइट *http://parliamentof india.nic.in* के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सभा सचिवालय की अपनी इंट्रानेट वेबसाइट भी है जिस पर सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी केवल यूजर आई डी और पासवर्ड के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। सचिवालय से संबंधित मूलभूत जानकारी के अतिरिक्त, इस इंट्रानेट वेबसाइट पर विभिन्न एप्लीकेशन्स एवं डाटाबेस दिए गए हैं जिनका सचिवालय के अनुभागों और अधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इंटरनेट पर उपलब्ध राज्य सभा वेबसाइट पर सभा और इसकी समितियों के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं संबंधी जानकारी जैसे कि प्रश्न, विधेयक, आश्वासन, वाद-विवाद, समिति संबंधी मामले, सदस्यों के जीवनवृत्त आदि उपलब्ध हैं। अधिकांश सूचनाएं ऑनलाइन डाटाबेसों की सहायता से दी जाती हैं। इस वेबसाइट में निम्नलिखित सूचनाएं समाहित हैं:

राज्य सभा: इस वेबसाइट पर अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) का परिचय और इसके पीठासीन अधिकारियों– सभापति एवं उपसभापति, सभा के नेता एवं विपक्ष के नेता तथा महासचिव से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

कार्य: इस लिंक में बैठकों का अंनतिम कैलेन्डर, कार्यावलि (कार्यसूची), सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों, संसदीय समाचार भाग-I एवं II, दैनिक कार्यवाहियों का सारांश, संसद द्वारा किए गए कार्य, विशेष उल्लेख, सत्रीय पत्रिका, सत्रीय सारांश समाहित हैं। इसके अलावा, व्यापक सर्च सुविधा के साथ विधेयकों (विधान) का डाटाबेस और विधेयकों की प्रगति संबंधी सत्रीय सूचना तथा किसी सत्र के दौरान किए जाने वाले सरकारी, विधायी

और अन्य कार्य संबंधी सूचना भी इस लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। 1952 से सभी विधेयकों का ब्यौरा भी यहां उपलब्ध है।

प्रश्नः लिंक के अंतर्गत संसदीय प्रश्नों का उत्तर सहित डाटाबेस है। प्रश्न अनेक मानदण्डों अर्थात् सदस्य-वार, तारीख-वार, सत्र-वार इत्यादि के अनुसार खोजे जा सकते हैं।

वाद-विवादः राज्य सभा के वाद-विवाद राज्य सभा की वेबसाइट पर असंशोधित वाद-विवाद और आधिकारिक वाद-विवाद दो रूपों में उपलब्ध हैं। असंशोधित वाद-विवाद लिंक में वाद-विवादों का मूल प्रारूप अथवा असंशोधित प्रारूप है जो सत्रीय दिवसों के दौरान दैनिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं। आधिकारिक वाद-विवाद लिंक में राज्य सभा के संपादित वाद-विवादों का डिजिटल रूप है जो राज्य सभा के एक पृथक वाद-विवाद पोर्टल (rsdebate.nic.in) पर उपलब्ध हैं। पोर्टल वाद-विवाद के शीर्षक, सत्र संख्या, वाद-विवाद की तारीख शीर्षक विषय/वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्य के नाम के आधार पर डाटाबेस से सरल सूचना प्राप्ति के लिए व्यापक सर्च की सुविधा भी मुहैया कराता है। वर्तमान में वाद-विवाद पोर्टल के अंतर्गत 1 से 248वें सत्र तक के डिजिटलीकृत आधिकारिक वाद-विवाद हैं।

सदस्यः इस लिंक के अंतर्गत डाटाबेस में सदस्यों के संबंध में व्यापक सूचनाएं अंतर्विष्ट हैं। वर्तमान, नाम-निर्देशित और पूर्व सदस्यों के संबंध में सूचनाओं के अतिरिक्त इसमें विभिन्न अन्य उप-लिंक हैं जैसे राज्य सभा सदस्यों के लिए सामान्य सूचना, राज्य सभा सदस्यों की सूची, सदस्य होम पेज, सदस्य लॉगिन, सदस्यों की उपस्थिति, दल-बदल के आधार पर सदस्यों की निरर्हता, आचार संहिता, आस्तियों और देनदारियों की घोषणा आदि। होम पेज में सदस्यों का विस्तृत बायोडाटा और सभा के कार्य तथा प्रश्नों, आश्वासनों, विशेष उल्लेखों, विधेयकों सहित अन्य संसदीय कार्यकलापों में उनकी भागीदारी तथा समिति के सदस्यों, एमपीलैड्स निधि के उपयोग आदि के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। "एमपीलैड्स" लिंक से एमपीलैड्स की वेबसाइट खुलती है जहां किसी सदस्य द्वारा निधियों के उपयोग की स्थिति को जानने

के लिए डैशबोर्ड के अंतर्गत सदस्य-वार खोज सुविधा उपलब्ध है। 'वर्तमान सदस्य' लिंक से आगे और लिंक्स/उप-लिंक खुलते हैं जो वर्तमान महिला सदस्यों, नाम-निदेशित सदस्यों, सदस्यों की वर्णाक्रमानुसार/कार्यकाल-वार/दल-वार /राज्य-वार/आयु-वार/जन्मदिन-वार सूची के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। 'पूर्व सदस्य' लिंक के अंतर्गत 1952 से राज्य सभा सदस्यों की वर्णाक्रमानुसार और कार्यकाल-वार सूची देखी जा सकती है और डाउनलोड की जा सकती है। 'नाम-निर्देशित सदस्य' लिंक के अंतर्गत नाम-निर्देशित सदस्यों-'वर्तमान और 1952 से सदस्य' की दो सूचियां दी गई हैं।

समितियां: इस लिंक के अंतर्गत राज्य सभा की विभिन्न समितियों की बैठकों, कार्यों, सिफारिशों और सदस्यता संबंधी डाटाबेस तथा समितियों के पूर्ण प्रतिवेदन आसानी से प्रस्तुत करने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि साइट देखने वाले को विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो सकें। इस लिंक के अंतर्गत सभी समितियां अर्थात् स्थायी समितियां, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां (राज्य सभा और लोक सभा), प्रवर समितियां, तदर्थ समितियां और संयुक्त समितियां। विभिन्न सांविधिक निकायों की सदस्यता के संबंध में खोज सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

प्रक्रियाएं: नियमों, प्रक्रियाओं और पूर्वनिर्णयों से संबंधित पुस्तिकाएं/दस्तावेज आसानी से प्राप्य प्रारूप में उपलब्ध हैं। साथ ही सभापीठ के विनिर्णय और समुक्तियां तथा सभापति के निर्देश भी यहां सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां 'सदस्यों हेतु पुस्तिका' भी अपलोड की गई है जो संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं, सदस्यों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं सहूलियतों तथा कतिपय विविध मामलों के संबंध में सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। 'कार्यरत राज्य सभा' जो राज्य सभा की परिपाटियों, प्रक्रियाओं और कार्यकरण के संबंध में एक व्यापक पुस्तक है, को भी यहां अपलोड किया गया है। लिंक में नागरिकों द्वारा राज्य सभा को याचिकाएं प्रस्तुत करने से संबंधित जानकारी भी दी गई है।

सचिवालयः इस लिंक के अंतर्गत सचिवालय की संगठनात्मक संरचना, इसकी सेवाएं और उत्तरदायी अधिकारी/अनुभाग, भर्ती संबंधी नियम, कार्यालय नियम पुस्तिका, वार्षिक प्रतिवेदनों आदि से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। संगठनात्मक चार्ट सचिवालय के अधिकारियों/अनुभागों के संपर्क विवरण दूरभाष एवं ई-मेल भी प्रदान करता है।

श्रव्य-दृश्यः अभिलेख संबंधी फोटोग्राफ, संसद भवन परिसर के फोटोग्राफ और सचिवालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को दर्शाने वाले फोटो एलबम यहां उपलब्ध कराए जाते हैं। सत्र के दौरान राज्य सभा की कार्यवाही का वीडियो फुटेज और सीधा प्रसारण भी उपलब्ध होता है।

डाउनलोड्सः यह लिंक राज्य सभा के सदस्यों के लिए विभिन्न आवेदन प्रपत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। 'संसदीय सूचना प्रपत्र' में विभिन्न संसदीय उपकरणों जैसे अल्पकालिक चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, विशेष उल्लेख, इत्यादि के लिए सूचना देने के लिए आवेदन प्रपत्र शामिल हैं। 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' और 'आवेदन प्रपत्र' लिंक्स से सदस्य सचिवालय द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं जैसे पहचान पत्र, कार पार्किंग लेबल, आवास, एमपीलैड्स निधि के लिए नोडल जिले चयन, संसदीय पत्रों के लिए भाषा का विकल्प, नाम की शैली, ब्रॉडबैंड, वाई-फाई सुविधा, आदि का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र डानउनलोड कर सकते हैं

प्रेस विज्ञप्तियांः इस लिंक के तहत माननीय सभापति के विदाई भाषणों, राज्य सभा और उसके सचिवालय की महत्वपूर्ण घटनाओं और विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अलावा, राज्या सभा वेबसाइट के होम पेज में सूचना कर अधिकार, भर्ती सेल, राज्य सभा सचिवालय के प्रकाशनों की सूची मुद्रित रूप में (बिक्री के लिए) और इलेक्ट्रॉनिक रूप में (वेबसाइट पर अपलोड की गई), मीडिया सलाहकार समिति, विशेष बैठक/सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा स्वीकार किए गए संकल्प आदि से संबंधित जानकारी तक पहुँचने के लिंक हैं।

'राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन योजना (आरएसआरएस)' लिंक पर डा. एस. राधाकृष्णन पीठ और राज्य सभा सचिवालय द्वारा स्थापित दो राज्य सभा फैलोशिप के बारे में जानकारी दी गई है। इस योजना की शुरुआत 2009 में भारत में संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत अनुसंधान सलाहकार समिति और किए गए अध्धयनों के प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी भी यहाँ प्राप्त की जा सकती है!

केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे महत्वूपर्ण दस्तावेजों और मंत्रालयों के विभिन्न प्रकाशनों को भी इस साइट से देखा जा सकता है। पार्लियामेंट

लाइब्रेरी (लोक सभा सचिवालय) और इसकी 'डिजिटल लाइब्रेरी' का लिंक भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। 'आधिकारिक साइटें' और 'उपयोगी लिंक' सरकार के विभिन्न संगठनों/संस्थाओं की वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सदस्य राज्य सभा वेबसाइट के माध्यम से राज्य सभा मेंम्बर्स पोर्टल और ई-नोटिस पोर्टल (विभिन्न सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण के लिए) का उपयोग कर सकते हैं।

होम पेज में राज्य सभा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) होते हैं जो प्रश्न और उत्तर के रूप में राज्य सभा और उसके सदस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन की जाती है। इसके अलावा, होम पेज पर उपलब्ध 'साइट मैप' उपयोगकर्ता को एक नजर में राज्य सभा की वेबसाइट के सभी लिंक और उप.लिंक देखने में सक्षम बनाता है।

राज्य सभा की वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3 सी) वेब कटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्लयूसीएजी) 2.0 एए का अनुपालन करती है! यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट पर पहुंचने में सक्षम बनाता है!

सचिवालय द्वारा की गई आईटी/गवर्नेंस पहल

सचिवालय हमेशा नए आईटी उपकरणों और ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से नवीनतम तकनीक के साथ तालमेल रखने का प्रयास करता रहा है। लगभग सभी अनुभागों को अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपने काम को स्वचालित करने के लिए आईटी अनुभाग के माध्यम से तैयार किए गए अनुकूलित सॉफ्टवेयर्स/एप्लिकेशन मिले हैं, जैसे पार्लियामेंट क्वेश्चन प्रोसेसिंग सिस्टम (पीक्यूपीएस), पेंशनर्स एमआइएस, ई-रिक्विजिशन ऑफ पास, आरटीआई एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ई-एमएसए, कमेटी एमआईएस, आदि। द्विभाषी वेब आधारित समिति एमआईएस सभी समितियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे समितियों को मुख्य जानकारी का अनुरक्षण, प्रतिवेदनों का प्रकाशन, बैठक के एसएमएस भेजना, दौरा विवरण,

बिल, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन, आदि। आरटीआई एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नई आरटीआई एप्लीकेशन प्रविष्टियों, प्रतिवेदन तैयार करने, आरटीआई आवेदनों की स्थिति की खोज करने आदि के लिए किया जाता है। इस तरह के अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अंततः परिणाम हुआ है कार्यों का शीघ्र निपटान, सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन और आदान-प्रदान तथा बेहतर पारदर्शिता।

अनुभाग विशिष्ट एप्लीकेशंस के अलावा, कई सामान्य एप्लीकेशंस भी सचिवालय के कामकाज को सामान्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए चल रही हैं। राज्य सभा फाइल पोर्टल विकसित किया गया है जो राज्य सभा सचिवालय के अनुभागों की सभी पुरानी स्थायी फाइलों के डिजिटल खोज योग्य भंडार के रूप में कार्य करता है। यह उन्नत खोज सुविधा के साथ एक इंट्रानेट आधारित सुरक्षित पोर्टल है। प्रत्येक अनुभाग को प्रदान किए गए उपयोगकर्ता-आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एप्लिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। संबधित अनुभाग परिपत्र/कार्यालय-आदेश/अधिसूचना प्रकाशित करने की वेब-सक्षम प्रणाली के माध्यम से राज्य सभा इंट्रानेट वेबसाइट पर अपने परिपत्र को स्वयं अपलोड कर सकता है।

सचिवालय सरकार द्वारा की गई किसी भी ई-गवर्नेंस पहल में शामिल होने में भी सक्रिय रहा है। तंत्र को और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास में, सचिवालय भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल आरटीआई ऑनलाइन सिस्टम का एक हिस्सा बन गया। पोर्टल आरटीआई अनुप्रयोगों के ऑनलाइन प्रसारण और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

राजपत्र अधिसूचनाएँ लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार के कदम से जुड़ते हुए सचिवालय ने राजपत्र अधिसूचनाओं के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए ई-गजट सुविधा को सफलतापूर्वक अपनाया है। इस प्रणाली के माध्यम से संबंधित विभाग/मंत्रालय सीधे भारत सरकार की ई-गजट वेबसाइट यानी *www.egazette.nic.in* पर प्रकाशित होने के लिए अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में सचिवालय में ई-साइन-डीएससी सेवा के साथ डिजिटल लॉकर प्रणाली का संवर्धन किया जा रहा है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने के लिए भौतिक दस्तावेज तंत्र के उपयोग को समाप्त करना है, क्योंकि ये दस्तावेज ई-हस्ताक्षरित होंगे। यह सुविधा सभी आधार कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के अनुपालन में सचिवालय भारत सरकार के ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) (*http://data.gov.in*) पर अपना संबंधित डेटा प्रदर्शित करने में प्रमुख कदम उठा रहा है, और इस प्रकार पारदर्शिता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2016 में उल्लेखनीय ई-गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देने के लिए सचिवालय को 'ओपन डेटा चैंपियन' श्रेणी में 'सिल्वर आइकन' पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

वर्ष 2019 में ई-ऑफिस प्रॉडक्ट सुइट आरंभ किया गया। कार्य को भौतिक तरीके से निपटाने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में निपटाने के क्रमिक बदलाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ई-ऑफिस प्रोडक्ट सुइट के तीन माड्यूल, अर्थात् फाइल मैनेजमेंट सिस्टम (ई-फाइल), लीव मैनेजमेंट सिस्टम (ई-लीव) और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस) को सचिवालय में कार्यान्वित किया गया है। सचिवालय ई-ऑफिस के स्पैरो (स्मार्ट परफार्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडों) मॉड्यूल को अपनाने के माध्यम से अपने सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का भी प्रयास कर रहा है। कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण मौजूदा प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों के दौरान, ई-ऑफिस और अन्य कार्यालय उपकरणों का डिजिटलीकरण काम के निपटान में सचिवालय के लिए एक वरदान साबित हुआ है। महत्वपूर्ण और जरूरी आधिकारिक काम मुख्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं।

राज्य सभा के सदस्यों के लिए आईटी सुविधाएं/पहलः

1. कंप्यूटर उपकरण की सुविधाः सदस्यों को अपने कार्यों/कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें 'कंप्यूटर उपकरणों के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना' के तहत कंप्यूटर उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत, सदस्य विभिन्न कंप्यूटर आइटम/उपकरण जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, पेन ड्राइव, भाषा और भाषण पहचान सॉफ्टवेयर्स, डेटा कार्ड, हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर/स्मार्टफोन आदि की खरीद के लिए हकदार हैं। इन उपकरणों के लिए सहायक उपकरण, जैसे स्पीकर, लैपटॉप बैग, ब्लूटूथ हेडसेट, वारंटी एक्सटेंशन पैक आदि भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

2. ई-रीडर डिवाइस के लिए हकदारीः संसदीय दस्तावेजों की कागजी प्रतियों पर सदस्यों की निर्भरता को कम करने और इस तरह कागज के उपयोग में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सदस्यों को ऐसा कोई भी ब्रांडेड ई-रीडर टैबलेट डिवाइस खरीदने की सुविधा दी गई है जो वित्तीय हकदारी के अनुसार आईओएस या एन्ड्राइड या विन्डोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

3. ब्रॉडबैंड/3जी सुविधाः सदस्यों को ब्रॉडबैंड सुविधा (एमटीएनएल/बीएसएनएल की) प्रदान की गई है। सदस्य अनुकूलित पैकेज के माध्यम से एमटीएनएल/बीएसएनएल की 3जी सुविधा और ब्लैकबेरी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार वे हकदारी के निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अपने ई-रीडर टैबलेट उपकरणों के लिए एमटीएनएल/बीएसएनएल के असीमित 3जी सेवा पैकेज भी प्राप्त कर सकते हैं।

4. मेम्बर्स लॉगिन पोर्टलः मेम्बर्स लॉगिन पोर्टल एक सुरक्षित द्विभाषी वेब एप्लीकेशन है, जो सदस्यों को सूचना और दस्तावेज देने के साथ-साथ सदस्यों द्वारा सचिवालय को सूचना भेजने के लिए सदस्यों और राज्य

सभा सचिवालय के बीच दोतरफा संचार चैनल के रूप में कार्य करता है। पोर्टल को उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन की दोहरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। एप्लीकेशन को सीधे https://mprs.nic.in से उपयोग किया जा सकता है या इसे राज्य सभा की वेबसाइट से भी उपयोग किया जा सकता है। पोर्टल विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है जैसे:

- इनबॉक्स (आधिकारिक): इनबॉक्स में सदस्य को सचिवालय के किसी भी अनुभाग द्वारा भेजी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज होता है;

- एसएमएस: सदस्य किसी अन्य मोबाइल पर एसएमएस भेज सकते हैं, प्राप्त एसएमएस देख सकते हैं और उनके द्वारा अन्य लोगों को भेजे गए एसएमएस भी देख सकते हैं।

- अन्य सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल/पोर्टल संदेश: सदस्यों पाठ प्रारूप में ई-मेल/संपर्क पता देख सकते हैं। सदस्य सभा के अन्य सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल/पोर्टल संदेश भेज सकते हैं।

- सबमिट रिक्वेस्ट: सदस्य सचिवालय में विभिन्न ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे स्थायी पते, स्थानीय पते, टेलीफोन नंबर (नंबरों) में परिवर्तन, संसदीय पत्रों के वितरण और पत्रों की भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) में परिवर्तन या राज्य सभा के महासचिव को भेजा जाने वाला कोई अन्य संदेश।

- सदस्य पोर्टल के माध्यम से अपने पे-स्लिप्स, उन्हें किए गए भुगतानों, जो उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं, का विवरण भी देख सकते हैं। वे अपने टीए/डीए बिल, एमटीएनएल बिल, बिजली और पानी के बिल के बारे में जानकारी देख सकते हैं। सदस्यों को पोर्टल के माध्यम से बुलेटिन भाग-II, मूल वाद-विवाद और समिति बैठक अनुसूची (तिथि-वार, सप्ताह-वार, माह-वार

आदि) के बारे में जानकारी प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्य ई-नोटिस पोर्टल के अलावा मेम्बर्स लॉग इन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने नोटिस भी जमा कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, ई-नोटिस के लिए लिंक लॉगिन के बाद मेम्बर्स पोर्टल के बैनर पर देखा जा सकता है। राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध एप्लीकेशन 'सेक्शन लॉग-इन सभी अनुभागों/शाखाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सदस्यों को पत्र/दस्तावेज/प्रतिवेदन/पाठ संदेश आदि भेजने में सक्षम बनाती है जिसे वे अपने मेम्बर्स पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं।

5. ई-रीडर उपकरणों के लिए अनुकूलित ऐप (द्विभाषी): आई-ओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर सदस्यों के ई-रीडर उपकरणों पर संसदीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक अनुकूलित ऐप विकसित किया गया है।

6. संसद भवन परिसर में वाई-फाई सुविधा: संसद सदस्यों के लिए संसद भवन परिसर में एक सुरक्षित वाई-फाई सुविधा, जिसमें आंतरिक बाहरी लॉबी और राज्य सभा का चैंबर शामिल हैं, प्रदान की गई है ताकि वे सरकार की सभी वेबसाइटों और संसद के दोनों सदनों की वेबसाइटों का उपयोग कर सकें। एक सदस्य संसद भवन परिसर में वाई-फाई सुविधा के उपयोग के लिए अधिकतम तीन पोर्टेबल उपकरणों के लिए पंजीकरण कर सकता है।

7. ई-नोटिस पोर्टल: सदस्यों के लाभ के लिए एक ई-नोटिस पोर्टल को कार्यात्मक बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सदस्य विभिन्न संसदीय उपकरणों के लिए भौतिक रूप में नोटिस भेजने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जमा कर सकते हैं। सदस्य किसी भी स्थान से सभी प्रकार के संसदीय उपकरणों जैसे प्रश्नों, संकल्पों, विधेयकों, विशेष उल्लेखों, शून्य काल के निवेदनों आदि को आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का

उपयोग कर सकते हैं। सदस्य पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी नोटिसों को भी देख सकते हैं। विभिन्न नोटिसों का निपटान करने वाले अनुभाग, जैसे सूचना कार्यालय, प्रश्न शाखा, विधायी अनुभाग और विधेयक कार्यालय के पास विभिन्न प्रकार के नोटिसों तक पहुंचने और उनके प्रसंस्करण के लिए अपना स्वयं का इंटरफेस है।

8. सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन, संसदीय सौध और संसदीय ग्रंथागार में रखे गए टीवी सेटों पर समिति की बैठकों के संबंध में सूचना डिजिटल रूप से प्रदर्शित की जा रही है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सभा के सदस्य विभिन्न आईटी टूल्स और डिजिटल मॉड्यूल/पोर्टल्स का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हों, एनआईसी अधिकारियों की मदद से समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य सभा के सदस्यों के बीच ई-जागरूकता पैदा करने के लिए एनआईईएलटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और बुनियादी कंप्यूटर अवधारणाओं पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना

वर्तमान में राज्य सभा की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है:

मद	अंग्रेजी	हिन्दी
कार्यावलि	186वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192वें सत्र से अब तक	192वें सत्र से अब तक
संसदीय समाचार भाग-I	185वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
संसदीय सामाचार भाग-II	अक्तूबर 1998 से अब तक	नवम्बर 1999 से अब तक
सत्रीय कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	186वें सत्र से अब तक	186वें सत्र से अब तक

मद	अंग्रेजी	हिन्दी
वाद-विवाद का सारांश	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
विदाई उद्‌गार	214वें सत्र से अब तक	214वें सत्र से अब तक
सांख्यिकीय सूचना (सभा के कार्य के संबंध में)	214वें सत्र से अब तक	214वें सत्र से अब तक
विशेष उल्लेख	194वें सत्र से अब तक	194वें सत्र से अब तक
सत्र के जर्नल	174वें सत्र से 245वें सत्र तक	174वें सत्र से 245वें सत्र तक
संसद की सभाओं द्वारा पारित विधेयक का सत्र-वार विवरण	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
सत्र के अंत में लंबित विधेयक	188वें सत्र से अब तक	188वें सत्र से अब तक
विधेयकों का ब्यौरा	1952 से अब तक	1952 से अब तक
संसदीय प्रश्न (सत्र-वार)	174वें सत्र से अब तक	174वें सत्र से अब तक
दैनिक संसदीय प्रश्न सूची तारांकित/अतारांकित	194वें सत्र से अब तक	206वें सत्र से अब तक
अल्प सूचना प्रश्न	226वें सत्र से अब तक	226वें सत्र से अब तक
अनुपूरक प्रश्न	174वें सत्र से अब तक	174वें सत्र से अब तक
प्रश्नों से संबंधित सांख्यिकीय सूचना	184वें सत्र से अब तक	184वें सत्र से अब तक
शब्दशः वाद-विवाद (असंशोधित)	189वें सत्र से अब तक	189वें सत्र से अब तक
आधिकारिक वाद-विवाद	1952 से अब तक	1952 से अब तक
सदस्यों की उपस्थिति	153वें सत्र से अब तक	205वें सत्र से अब तक
सदस्यों के वेतन और भत्तों पर हुआ व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2020-21	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2020-21
राज्य सभा की अनुदान मांगें	वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2019-20	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19

इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशन

राज्य सभा की वेबसाइट पर इलैक्ट्रानिक रूप में निम्नलिखित प्रकाशन उपलब्ध हैं:

लार्डिस द्वारा तैयार किए गए प्रकाशन

- द सेकण्ड चैम्बर : इट्स रोल इन मॉडर्न लैजिस्लेचर्स-द ट्वंटी-फाइव इयर्स ऑफ राज्य सभा, 1997 एडिशन
- लाइटर मूमेंट्स इन द राज्य सभा, 1985 एडिशन एंड लाइटर मूमेंट्स इन द राज्य सभा-ए सप्लीमेंट, 1986 एडिशन
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन: ए कोमेमोरेटिव वॉल्यूम, 1988 एडिशन
- एजुकेशन एंड सोशल चेंज, 1988 एडिशन
- जवाहर लाल नेहरू एंड राज्य सभा, 1989 एडिशन
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर-द मैन एंड हिज़ मैसेज: ए कोमेमोरेटिव वॉल्यूम, 1991 एडिशन
- राज्य सभा पेज़ होमेज टू राजीव गांधी, 1991 एडिशन
- वैल्कम मि. चेयरमैन, सर, 1992 एडिशन [फेलिसिटेशंस टू श्री के. आर. नारायणन ऑन बिकमिंग दि नाइंथ चेयरमैन ऑफ राज्य सभा]
- वैल्कम ऑनरेबल चेयरमैन, 1996 एडिशन [फेलिसिटेशंस ऑफर्ड टू दि चेयरमैन ऑफ राज्य सभा फ्राम 1952 टू 1996 ऑन ऑक्युपाइंग दि चेयर ऑफ दि प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर ऑफ दि काउंसिल ऑफ स्टेट्स]
- वैल्कम मि. चेयरमैन, सर, [1997 (श्री कृष्णकांत), 2003 (श्री भैरों सिंह शेखावत), 2007 तथा 2012 (श्री हामिद अंसारी) तथा 2017 (श्री एम. वेंकैया नायडु) संस्करण]
- भारतीय संसद : एक परिचय, 2007 संस्करण (हिन्दी)
- रेज़रवेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज: पर्सपैक्टिव, 2008 एडिशन

- क्लाइमेट चेंज: चैलेंजिज़ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 2008 एडिशन
- रूलिंग्स एंड ऑब्जरवेशंस फ्रॉम दि चेयर (1952-2008), 2009 एडिशन
- स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राज्य सभा सेक्रेटेरिएट, 2009 एडिशन
- ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, 2009 एडिशन
- डॉ. एस. राधाकृष्णन चेयर एंड राज्य सभा फैलोशिप्स ऑन पार्लियामेंट्री स्टडीज़, 2009 एडिशन
- सैकेंड चैम्बर इन इंडियन पार्लियामेंट : रोल एंड स्टैटस ऑफ राज्य सभा, 2009 एडिशन
- जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स: इश्यूज एंड चैलेंजिज़ इन दि कटैक्स्ट ऑफ इंडिया, 2009 एडिशन
- हैंडबुक ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ राज्य सभा सेक्रेटेरिएट, 2009 एडिशन
- चेजिंग पॉवर्टी एस्टीमेट्स इन इंडिया: सम रिसेंट डेवलपमेंट्स, 2010 एडिशन
- इंटरनेशनल प्रैक्टिसिज़ फॉर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंटरी बजट, 2010 एडिशन
- ई-वेस्ट इन इंडिया, 2011 एडिशन
- इनीशिएटिंग डिस्कशन ऑन वैरियस टाईप्स ऑफ डिबेट्स इन राज्य सभा, 2012 एडिशन
- सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ विमेन मैंबर्स ऑफ दि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली, 2012 एडिशन
- सिक्स्टी इयर्स ऑफ राज्य सभा (1952-2012), 2012 एडिशन
- कंपेडियम ऑन पार्लियामेंटरी इनेक्टमैंट्स: दि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 2014 एडिशन

- कंपेडियम ऑन पार्लियामेंटरी इनेक्टमैंट्स: दि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, 2015 एडिशन
- सेकण्ड चैम्बर्स: बाइकैमरालिज़्म टुडे, 2002 एडिशन
- इमर्जेंस ऑफ सेकण्ड चैम्बर इन इंडिया, 2002 एडिशन
- ह्यूमर इन द हाउस: ग्लिम्प्स इनटू दी एनलिवनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा (1989 एंड 2003 एडिशंस)
- सोशियो-इकोनोमिक प्रोफाइल ऑफ राज्य सभा (1952-2002), 2003 एडिशन
- वुमेन मेम्बर्स ऑफ राज्य सभा, 2003 एडिशन
- डिसिप्लिन, डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, 2003 एडिशन
- फिफ्टी इयर्स ऑफ राज्य सभा (1952-2002), 2003 एडिशन
- नोमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्य सभा 2003 एंड 2012 एडिशंस
- कंप्यूटराइजेशन इन राज्य सभा-एन आवरव्यू, 2003 एंड 2012 एडिशंस
- कमेटी सिस्टम इन राज्य सभा (1952-2002), 2003 एडिशन
- एथिक्स कमेटी ऑफ राज्य सभा, 2003 एडिशन
- रोल एंड रेलेवेंस ऑफ राज्य सभा इन इंडियन पॉलिटी, 2004 एडिशन
- राज्य सभा में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, 2005 संस्करण (हिन्दी)
- फैलिसिटेशंस ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2006 एडिशन [कॉन्ग्रच्यूलेट्री रिमार्क्स मेड इन द हाउस ऑन द कम्प्लीशन ऑफ फोर इयर्स ऑफ श्री भैरों सिंह शेखावत एज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा ऑन 18 अगस्त 2006]
- एन इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 2007 एडिशन
- कंपेडियम ऑन पार्लियामेंटरी इनेक्टमैंट्स: दि सैक्शुअल हरासमैंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट 2013, 2015 एडिशन

- फ्रिक्वेंट्ली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन पार्लियामेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राज्य सभा, 2016 एडिशन
- राज्य सभा एट वर्क, 2017 एडिशन
- कार्यरत राज्य सभा, 2017 एडिशन (हिन्दी)
- राज्य सभा एंड इट्स सेक्रेटेरिएट: ए परफार्मेंस प्रोफाइल, 2018 एडिशन
- राज्य सभा हू इज़ हू 2018
- दस पुस्तिकाओं की शृंखला (2018 एडिशन)
  - (i) सूचना–एक नज़र में
  - (ii) राज्य सभा–भारतीय राज्य–व्यवस्था में इसका योगदान
  - (iii) विधि निर्माण प्रक्रिया
  - (iv) राज्य सभा में समिति प्रणाली
  - (v) संसदीय विशेषाधिकार
  - (vi) सदस्यों द्वारा करने और न करने योग्य बातें
  - (vii) सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका
  - (viii) कार्यपालिका–संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व
  - (ix) विधि निर्माताओं के लिए सूचना प्रबंधन
  - (x) प्रभावी विधायक कैसे बनें
- राज्य सभा: एक सफरनामा 1952 से
- रोल ऑफ राज्य सभा इन इंडियन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी

सचिवालय के अन्य अनुभागों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशन

- संसद सदस्य वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम

- चेयरमैन्स रिप्लाई टू द फेलिसिटेशन इन राज्य सभा (26-08-1997)
- रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिड बाइ द चेयरमेन टू गो इन्टू द क्वेश्चन ऑफ इश्यूज परटेनिंग टू स्टेट सबजेक्ट/लेजिस्लेचर्स विच कैन बी रेज्ड एंड डिस्कस्ड इन दी हाउस, 2003 संस्करण
- डीमिस्टीफाइंग क्वैश्चन ऑवर: बजट सैशन, (2008 एंड 2013)
- पार्लियामेंटरी प्रोसीजर: प्राब्लेम्स एंड पर्सपैक्टिव्स, 2009 एडिशन
- संसदीय शब्दावली (2009 एंड 2019)(द्विभाषी)
- प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंटरी कमेटीज़: रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी ऑन रूल्ज ऑफ राज्य सभा, 2010 एडिशन
- हैंडबुक फॉर मेंबर्स ऑफ राज्य सभा, 2010 एडिशन
- न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अधीन राज्य सभा के सभापति द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन, 2010 एडिशन
- सेक्रेटरी जनरल, राज्य सभा: ए प्रोफाइल एंड ए वर्क स्टडी ऑफ एक्टिविटीज, 2011 एडिशन
- डायरेक्शंस बाइ दि चेयरमैन, राज्य सभा, 2011 एडिशन
- प्राइवेट मेंबर्स लेजिस्लेशन, 2013 एडिशन
- राज्य सभा कमेटीज़: ए प्रोफाइल (समरी ऑफ वर्क डन) 2012, 2013 एडिशन
- राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम, 2016 संस्करण
- राज्य सभा सांख्यिकीय सूचना (1952-2018), 2019 संस्करण

- कमिटीज़ ऑफ राज्य सभा एंड अदर पार्लियामेंटरी कमिटीज़ एंड बॉडीज़ ऑन विच राज्य सभा इज रीप्रेजेन्टिड, (30 जून, 2020 तक संशोधित)
- राज्य सभा के सदस्यों की सूची
- विशेषाधिकार सार-संग्रह
- कार्यालय नियम पुस्तिका
- वार्षिक प्रतिवेदन

राज्य सभा के सदस्यों के लिए संसदीय सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में, विभिन्न प्रकार के सूचना प्रपत्रों को कंप्यूटर संगत बनाया गया है और वे राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सदस्य विभिन्न संसदीय उपकरणों के लिए ई-नोटिस पोर्टल के माध्यम से सूचना देने के अलावा भौतिक सूचना देने के लिए इन सूचना प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट 'डाउनलोड' लिंक से निम्नलिखित सूचना प्रपत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं:

(i) शून्य काल
(ii) अल्प सूचना प्रश्न
(iii) आधे घंटे की चर्चा
(iv) ध्यानाकर्षण
(v) अल्पकालिक चर्चा
(vi) प्रस्ताव की सूचना
(vii) विशेष उल्लेख
(viii) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प
(ix) सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा हेतु प्रपत्र
(x) सदस्यों द्वारा संपत्तियों और देयताओं की घोषणा हेतु प्रपत्र
(xi) जीवन-वृत्त प्रपत्र

(ख) प्रकाशन और सदस्य परिचय एकक

सचिवालय की ओर से विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन करना इस एकक का प्रमुख कार्य है जिनमें शामिल है राज्य सभा का सदस्य परिचय, जिसमें राज्य सभा के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव के पश्चात् सदस्यों के जीवनवृत्त संकलित होते हैं। पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) का प्रकाशन और सदस्य परिचय एकक सचिवालय की ओर से समय-समय पर विभिन्न अन्य प्रकाशनों के अलावा इस पुस्तक को प्रकाशित करता है। राज्य सभा का सदस्य परिचय और 'कार्यरत राज्य सभा' जैसे प्रकाशनों के अलावा इस एकक ने अनेक एकबारगी प्रकाशन और विशेष अवसरों पर प्रकाशन भी प्रकाशित किए हैं (सूची पृष्ठ 106 पर वर्णित)।

राज्य सभा का सदस्य परिचय

राज्य सभा का सदस्य परिचय प्रत्येक दो वर्षों में द्विवार्षिक चुनाव में नए सदस्यों के निर्वाचित होने के पश्चात् प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रकाशन में राज्य सभा के माननीय सभापति, माननीय उपसभापति, माननीय सदस्य और राज्य सभा के महासचिव के जीवन वृत्त विषय सूची सहित अंतर्विष्ट हैं। इस प्रकाशन में मंत्रिपरिषद् की सूची, राज्य सभा के सदस्यों की सूची (राज्य-वार) और महिला सदस्यों की सूची भी शामिल है। जहां तक सदस्यों के जीवन वृत्त का संबंध है, सदस्यों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक ब्यौरे के अतिरिक्त उनमें सदस्यों के सम्पर्क सूत्र, पूर्वधारित पद, प्रकाशित पुस्तकें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप, साहित्यिक/कलात्मक/वैज्ञानिक उपलब्धियां, महत्वपूर्ण विदेश यात्राएं, आमोद-प्रमोद और उनकी अन्य विशेष रूचियां शामिल होती हैं। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, इस प्रकाशन में शामिल किए जाने हेतु नव-निर्वाचित सदस्यों के फोटो सहित उनके जीवन से संबंधित ब्यौरे प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक जीवन वृत्त प्रपत्र भेजे

जाते हैं। राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा दिनांक 28 मई, 2009 के संसदीय समाचार भाग-II के माध्यम से जारी निदेश के अनुसार जीवनवृत्त में दी जाने वाली सूचना तीन पृष्ठ तक सीमित करनी होती है।

सदस्यों द्वारा यथावत् पूर्ण रूप से भरे गए जीवनवृत्त प्रपत्र प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार संसाधित एवं संग्रहित किया जाता है। किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण की स्थिति में सदस्य से या तो राज्य सभा की लॉबी में (सत्र के दौरान) अथवा लिखित पत्राचार के माध्यम से (अन्तर-सत्रावधि के दौरान) संपर्क किया जाता है। जीवनवृत्त अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं और ये उन्हें सदस्य को पुनरीक्षण एवं निश्चित तारीख तक लौटाये जाने हेतु प्रेषित किए जाते हैं, तत्पश्चात् पाण्डुलिपि मुद्रणार्थ भेजी जाती है।

'राज्य सभा का सदस्य परिचय' के द्विवार्षिक प्रकाशन के अतिरिक्त एकक द्वारा राज्य सभा के प्रारंभ से सभी सदस्यों का संक्षिप्त जीवनवृत्त देते हुए एक समेकित सदस्य परिचय भी संकलित किया गया है।

राज्य सभा-एक सफरनामा 1952 से

'राज्य सभा-एक सफरनामा 1952 से' नामक पुस्तक को राज्य सभा के 250वें सत्र के उपलक्ष्य में विशेष प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकाशन में राज्य सभा के विशेष संदर्भ में गत 67 वर्षों के दौरान हमारे देश की प्रगति में संसद के मात्रात्मक और गुणात्मक योगदान का उल्लेख किया गया है। 'राज्य-सभा-एक नजर में' प्रकाशन के भाग-II के अंतर्गत, 1952 से राज्य सभा के सभापतियों, उपसभापतियों, सदन के नेताओं, विपक्ष के नेताओं, सचिवों/महासचिवों और राज्य सभा सदस्यों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना समाविष्ट की गई है। 1952 से राज्य सभा का सांख्यिकीय सारांश के अलावा, महत्वपूर्ण विधेयकों के संबंध में राज्य सभा में 'कुछ प्रथम व्यक्तियों

(सम फर्स्ट्स) की सूची भी इसमें दी गई है। प्रकाशन अर्थात् 'कार्यरत राज्य सभा' के भाग-III में राज्य सभा में पारित उन महत्वपूर्ण विधेयकों की सूची दी गई है जो देश की आर्थिक और सामाजिक जनसांख्यिकी को आकार देने और उसमें परिवर्तन लाने में सहायक रहे हैं। यहां संसद द्वारा 1951 से पारित सभी संविधाान संशोधनों (संविधान एक सौ तीन संशोधन) अधिनियम 2019 से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकाशन में 100 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधानों, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक, राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य और राज्य सभा की कुछ अनूठी घटनाओं को भी शामिल किया गया है। यह प्रकाशन उन व्यक्तियों के लिए एक सहज संदर्भ के साधन के रूप में काम करता है जो देश की प्रगति में राज्य सभा के योगदान का अध्ययन करने और उसे समझने में रुचि रखते हैं।

(ग) वाद-विवादों का डिजिटलीकरण

संसदीय वाद-विवाद सभा पटल पर दी गई सूचना, चर्चा और विचार-विमर्श का संग्रह हैं। ये वाद-विवाद हमारे राष्ट्र की नियति निर्माण में सभा द्वारा अदा की गई भूमिका को समझने में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। ये सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज हैं और हमारी संसदीय प्रक्रिया के इतिहास और विरासत के लिखित रिकॉर्ड हैं।

राज्य सभा के प्रारंभ अर्थात् 1952 से सभी आधिकारिक वाद-विवाद मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। सदस्यों, शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, पत्रकारों और यहां तक कि सामान्य नागरिकों को प्रायः इन वाद-विवादों की प्रतियों की आवश्यकता पड़ती हैं। वाद-विवादों के डिजिटलीकरण और सन्दर्भ हेतु उन तक शीघ्र पहुंच के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता महसूस की गई। कोई भी व्यक्ति राज्य सभा के पार्लियामेंट डिबेट पोर्टल (http://rsdebate.nic.in) पर जाकर अपनी सुविधानुसार संसदीय वाद-विवादों से वांछित और संगत भाग को सरलता से प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में राज्य सभा की वेबसाइट के डिबेट पोर्टल में 1 से 248वें सत्रों तक के आधिकारिक वाद-विवादों के डिजिटलीकरण रूप उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर एडवान्स्ड सर्च इंजन के साथ वाद-विवादों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्धता लोगों को उनमें समाविष्ट जानकारी के खजाने को सरलतापूर्वक खोजने के लिए सक्षम बनाती है। लोकतांत्रिक संस्थानों में डिजिटल सम्पत्तियों के अभिलेखन और इसकी सार्वजनिक उपलब्धता लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है।

(घ) दृश्य-श्रव्य और प्रसारण

राज्य सभी की कार्यवाही को राज्य सभा टी.वी. द्वारा प्रसारित और रिकॉर्ड किया जा रहा है। सदस्यों को रिकार्डिड कार्यवाही मांगने पर भुगतान आधार पर डीवीडी के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। सदस्य उस कार्यवाही जिसके लिए डीवीडी अपेक्षित है, की तारीख विषय और भाग लेने के समय को दर्शाते हुए अपने अनुरोध को अवर सचिव, लॉबी कार्यालय, राज्य सभा सचिवालय संसद भवन को भेजकर 75/- रु प्रति डीवीडी की दर से डीवीडी रुप में अपने भाषणों की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) मीडिया प्रबंधन

प्रेस एवं मीडिया एकक का गठन 17 नवम्बर, 2003 को किया गया जिससे कि मीडिया द्वारा राज्य सभा की कार्यवाहियों के बेहतर कवरेज की सुविधा मिल सके। इस एकक का नया नाम ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन एवं सूचना सेवा (लार्डिस), राज्य सभा सचिवालय के पुनर्गठन के रूप में 19 सितम्बर, 2008 को 'मीडिया शिक्षा और दृश्य-श्रव्य एकक' रखा गया। यह एकक राज्य सभा की कार्यवाहियों की पर्याप्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रेस के व्यक्तियों और अन्य मीडिया एजेंसियों के साथ संपर्क करने हेतु नोडल अनुभाग के रूप में कार्य करता है। मीडिया कर्मियों के साथ बेहतर समन्वय के लिए एक मीडिया सलाहकार समिति, जिसमें

प्रेस के प्रत्यायित व्यक्ति होते हैं, की वर्ष 2008 में स्थापना की गई जिसका कार्य राज्य सभा की प्रेस दीर्घा में विभिन्न मीडियाकर्मियों और संगठनों के प्रवेश के संबंध में राज्य सभी सचिवालय को सलाह देना है।

राज्य सभा की प्रेस दीर्घा में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों के प्रवेश हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। मीडिया सलाहकार समिति मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सभा की प्रेस दीर्घा में मीडिया संगठनों/मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेती है/सिफारिश करती है। तत्पश्चात्, अधिकृत मीडिया सगठनों के मीडिया कर्मियों तीन प्रकार के प्रवेश पत्र यथा वार्षिक, सत्रीय (सेशनल) और अस्थायी प्रवेश-पत्र जारी किए जाते हैं। एक वर्ष की मान्यता वाले वार्षिक प्रवेश-पत्र राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के लिए स्वीकृत समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/समाचार पत्रिकाओं/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोटे के एवज में पत्रकारों को जारी किए जाते हैं। दीर्घ एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी (एल एंड डी) के अंतर्गत आने वाले पत्रकारों को अलग-अलग प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं जिनकी वैधता दो वर्ष होती है। सत्रीय प्रवेश-पत्र अधिकृत मीडिया संगठनों/समाचार पत्रिकाओं के स्वीकृत कोटे के एवज में पत्रकारों को जारी किए जाते हैं और ये एक सत्र के लिए वैध होते हैं। स्वतंत्र पत्रकार श्रेणी के अंतर्गत अधिकृत पत्रकारों को भी सत्रीय प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। अधिकृत मीडिया संगठनों को साप्ताहिक आधार पर अधिकतम दो अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। किसी पत्रकार को अस्थायी प्रवेश पत्र जारी करने हेतु मीडिया सलाहकार समिति के एक सदस्य और एक पत्रकार की सिफारिश की आवश्यकता होती है जिसके पास वार्षिक एल एंड डी श्रेणी वाला राज्य सभा प्रेस दीर्घा प्रवेश पत्र हो इसके अलावा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय कक्ष की सुविधा भी वरिष्ठ पत्रकारों को दी जाती है।

आधिकारिक मीडिया नामतः दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.) के प्रतिनिधियों को सभा की कार्यवाहियों को कवर करने हेतु निर्धारित संख्या में प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। इसी

प्रकार पी टी आई, पी टी आई भाषा, यू एन आई और यूनिवार्ता जैसी एजेंसियों का भी निर्धारित कोटा होता है। तथापि, इस एकक को मीडिया संगठनों के सक्षम प्राधिकारी की ओर से राज्य सभा की कार्यवाहियों को कवर करने हेतु प्रतिनिधियों के नामों की सिफारिश करने वाले औपचारिक अनुरोध प्राप्त होते हैं।

यह एकक राज्य सभा की प्रेस दीर्घा के निकट एक प्रेस पटल भी संचालित करता है। यह प्रेस पटल राज्य सभा की कार्यवाहियों को कवर करने वाली मीडियाकर्मियों के लिए विधेयक, कार्यावलि, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचियां, मंत्री/मंत्रियों द्वारा दिये गए वक्तव्य, विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन, विशेष उल्लेख, आदि जैसे संसदीय पत्र उपलब्ध कराता है। यह पटल सत्रावधि में कार्य करता है। इस पटल के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियां भी मीडियाकर्मियों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

यह एकक राज्य सभा के माननीय सभापति और माननीय उपसभापति की वरिष्ठ पत्रकारों से वार्तालाप भी आयोजित करता है। विभाग-संबंधित संसदीय समितियों और अन्य समितियों के अध्यक्षों के लिए संबंधित समिति अनुभागों से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रेस सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। सभा पटल पर रखी गई अथवा राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत समिति प्रतिवेदनों के लिए प्रेस विज्ञप्तियां व्यापक सूचना और प्रचार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती हैं। यह एकक कई घटनाओं/कार्यक्रमों, जैसे विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों द्वारा राज्य सभा के माननीय सभापति से भेंट, राज्य सभा के निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के शपथ-ग्रहण समारोह, नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के लिए विषयबोध कार्यक्रम, राज्य सभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के विदाई समारोह तथा समय-समय पर आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करता है और उन्हें जारी करता है।

(च) राज्य सभा टेलिविजन (आरएसटीवी)

राज्य सभा टेलिविजन, भारतीय संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्य सभा के स्वामित्व तथा इसके द्वारा संचालित 24x7 चलने वाला एक संसदीय चैनल है। इस चैनल का उद्देश्य संसदीय मामलों विशेषकर राज्य सभा के कार्यकरण और इससे संबंधित घटनाक्रमों का गहन कवरेज उपलब्ध कराना और उनका विश्लेषण करना हैं। संसद के सत्रों के दौरान, राज्य सभा की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण करने के अलावा, आरएसटीवी सभा की कार्यवाहियों के साथ-साथ अन्य दैनिक संसदीय आयोजनों एवं घटनाक्रमों का प्रभावशाली विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है।

चैनल ने भारत में पहली बार आम जनता को संसदीय समितियों के कार्यकरण के बारे में गहन जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त चैनल आगामी विधायी विधेयकों तथा संसद में विचाराधीन विधेयकों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करता है। आने वाले दिनों में अपने विकास के साथ-साथ आरएसटीवी का उद्देश्य अपने दर्शकों के लाभार्थ राज्य सभा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए भारतीय संसद के कार्यकरण के अनेक अन्य पहलुओं को भी कवर करना है।

आरएसटीवी ने उत्तरदायी और जिम्मेदारी सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के प्रति सचेत रहते हुए संसद और जनसाधारण के बीच में जीवंत संबंध पर आधारित अपने कार्यक्रमों और 'शो' की अवधारणा तैयार की है। इस प्रकार आरएसटीवी निर्वाचित एवं निर्वाचकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

यह लोगों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलु के बारे में चर्चा करने का प्रयास करता है, और भारत की कला एवं संस्कृति आधारित अपने कार्यक्रमों और 'शो' के माध्यम से भारतीय समाज की विविधता और जीवंतता को प्रदर्शित करने का निष्कपट प्रयास करता है।

समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सभा टी.वी. अपने प्रबुद्ध दर्शकों के लिए कई प्रकार के सूचना एवं ज्ञान-आधारित कार्यक्रमों को भी प्रसारित करता है। आर एस टी वी इंटरनेट पर उपलब्ध है। http://www.rstv.nic.in, http://www.webcast.gov.in और http://www.youtube.com/rajyasabhatv वेबसाइटों के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। आरएसटीवी पर प्रकाशित कार्यक्रमों को http://www.youtube/com/rajyasabhatv पर पुनः देखा जा सकता है।

वर्ष 2019 में आरएसटीवी के यूटूब चैनल के दर्शकों की संख्या में आसाधारण वृद्धि हुई और इसके दर्शकों की संख्या 4 मिलियन के पार हो गई है। आरएसटीवी के फेसबुक पेज के फॉलोअर की संख्या 1.5 लाख के पार हो गई है। इसी प्रकार आरएसटीवी के ट्विटर हैंडल @rajyasabhatv के अब लगभग 1 लाख फॉलोअर हैं। इसके अलावा, कई सत्यापित हैंडल्स ने आरएसटीवी हैंडल को फॉलो करना आरंभ कर दिया है जिनके कई संसद सदस्य भी शामिल हैं।

चुनिंदा संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. बार्कर, ए.: इंफोर्मेशन फॉर पार्लियामेंटेरियंस: ए टेक्निकल एंड पोलिटिकल चैलेंज, दि पार्लियामेंटेरियन, खंड-54, सं. 2, अप्रैल, 1973

2. बिस्ट्रोम, टी. एंड स्पाईसर, ई.: इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इंफोर्मेशन फॉर पार्लियामेंट, इंटर-पार्लियामेंट्री बुलेटिन, तीसरी तिमाही, 1974

3. एंजिलफिल्ड, डी.: सर्वे ऑफ पार्लियामेंटी लाइब्रेरीज, डाक्यूमेंटेशन एंड इंफोर्मेशन सर्विस, यूरोपियन सेंटर ऑफ पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड डाक्यूमेंटेशन, लक्जमबर्ग, 1983

4. राज्य सभा के सदस्यों के लिए जानकारी पुस्तिका, राज्य सभा सचिवालय, जनवरी, 2010

5. कश्यप, सुभाष सी.: इंफोर्मेशन मैनेजमेंट फॉर मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, खंड-7, सं. 2, 1973

6. कश्यप, सुभाष सी.: पार्लियामेंट्स एंड इंफोर्मेशन डिसैमीनेशन, जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफोर्मेशन, खंड-31, सं. 1, मार्च, 1985

7. पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रिफरेंस, रिसर्च, डाक्यूमेंटेशन एंड इंफोर्मेशन-एन इंट्रोडक्ट्री गाइड एंड ए ब्रोशर, लोक सभा सचिवालय, जनवरी 1985

8. संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस), लोक सभा सचिवालय, मई, 2014

9. पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिसिज: सेक्रेट्री-जनरल, राज्य सभा एट कॉन्फ्रेन्सिज (2002-2011), राज्य सभा सचिवालय, 2011

10. रीड, ए.स.: इंफोर्मेशन फॉर दि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दी इंफोर्मेशन साईंटिस्ट, खंड-2, सं. 2, जून, 1977

11. दि जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफोर्मेशन, लोक सभा सचिवालय, खंड-49, सं. 3, सितम्बर, 2003